राष्ट्रीय न्यास

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-2019

राष्ट्रीय न्यास
स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16-बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110 060 दूरभाष : 011 43187878
ईमेल: contactus@thenationaltrust.in **वेबसाइट:** www.thenationaltrust.gov.in

10.09.2018 को विश्व युवक केंद्र दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय न्यास की 18वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान राष्ट्रीय न्यास के कर्मचारियों का समूह फोटोग्राफ

डॉ. थावरचन्द गेहलोत
DR. THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली–110115
Office : 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115

Tel. : 011-23381001, 23381390, Fax : 011-23381902
E-mail : min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23381001, 23381390, फैक्सः 011-23381902
ई-मेलः min-sje@nic.in

संदेश

मैं राष्ट्रीय न्यास को वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के लिए बधाई देता हूं। राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं और कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आजीवन सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैं। वर्तमान वर्ष में बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उपायों को और अधिक सुद्रढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य न केवल अपने विकास क्षेत्र का विस्तार करना है, बल्कि एक साथ जवाबदेही और बेहतर सेवाओं को सुनिश्चित करना है और ऐसा किया भी गया है।

मुझे यह जानकारी साझा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय न्यास निरंतर अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा सेवा प्रदान कर रहा है, उदाहरणार्थ - दिशा (बाल्य - कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी), विकास (दिन में देखभाल), समर्थ (राहतकारी देखभाल), घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह) इन योजनाओं के द्वारा विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 2512 लाभार्थी इस वित्तीय वर्ष में लाभान्वित हुए हैं तथा 11.15 करोड़ रू. सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की गयी है। मैं आशा करता हूँ कि हमें और अन्य श्रोतों को तलाश करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को और बढ़ाना है।

राष्ट्रीय न्यास की सफल योजनाओं में से एक निरामय - स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 96716 लाभार्थियों को लाभान्वित कर रही है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि यह योजना पिछले 10 वर्षों से अस्तित्व में है। इस योजना की शुरुआत तब की गयी थी जब इन दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई भी योजना उपलब्ध नहीं थी। समय के साथ अनेक सामाजिक संगठन इस योजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए आगे आए हैं। इस संदर्भ में **द हंस फाउंडेशन** के योगदान का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो वर्ष 2016 से राष्ट्रीय न्यास को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । पिछले वर्ष में

क्रमशः2/---------

सत्यमेव जयते

-2-

इस संगठन ने 37.67 लाख रुपये प्रदान किए। मैं पूरी निष्ठा से चाहता हूं कि न्यास इस योजना के द्वारा विकसित "विश्वास" इस तरह के अनेक संगठनों को इस कल्याणकरी कार्य हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मुझे यह जानकारी साझा करते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत स्थानीय स्तरीय समिति की अनिवार्य जिम्मेदारी भी पूरी की जा रही है। राष्ट्रीय न्यास के ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करते हुए गत वर्ष 5000 से अधिक कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार अपने कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी उपायों को अपना रही है और यह सिर्फ एक उदाहरण है।

मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय न्यास की अपनी पहल जिसमें दिव्यांगजन के प्राकृतिक माता-पिता के अलावा अन्य कानूनी अभिभावकों नियुक्त हैं उनके लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना को शुल्क मुक्त रखने की बात कही गयी हैं, को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दिव्यांगजनों के अधिक से अधिक रिश्तेदार इन दिव्यांगजनों की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आएं। यह अन्योन्याश्रित अवधारणा केवल दिव्यांगजन के विकास में उत्प्रेरक के रूप में काम नहीं करेगी बल्कि यह मानव दुनिया की विविधता को स्वीकार करने के लिए रिश्तेदार की संवेदनशीलता में सुधार करेगी।

मैं राष्ट्रीय न्यास को यह कहकर सभी सफलताओं की कामना करता हूं कि - **"आपका साथ रहेगा तो हम नयी बुलंदियों को छूएंगे"**

11.6.19

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

कृष्णपाल गुर्जर
KRISHANPAL GURJAR

सत्यमेव जयते

No. 01/VIP/MOS(SJ&E)/4/6/2019

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

मुझे राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट के लिए संदेश लिखने में बेहद खुशी हो रही है। मेरे मंत्रालय का यह विभाग प्रत्येक दिन दिव्यांगजनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

राष्ट्रीय न्यास ने 2015-16 में अपनी नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए थे। पिछले 3-4 वर्षों में अनुभव प्राप्त करना वर्तमान वर्ष के कार्यक्रमों के गुणात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। दिव्यांगजनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कठोर उपाय किए गए।

निरामय(स्वास्थ्य बीमा योजना) - 96716 लाभार्थियों के कवरेज के साथ सबसे सफल योजना रही है। निरंतर प्रयासों के साथ, यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्थानीय स्तरीय समिति राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अनुसार कानूनी संरक्षकता प्रमाणपत्र देने के लिए योजना प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने में सक्रिय हो गई हैं। वर्ष के दौरान स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा 5953 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं । डिजिटल इंडिया अभियान को सफल बनाने वाले तथा डिजिटल सिस्टम को स्वीकार करने और उसका उपयोग करने वालों में असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके भी शामिल हैं।

मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा नई पहल की शुरूआत की जाए।

जय हिन्द। जय भारत।

(कृष्ण पाल गुर्जर)

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संदेश

मुझे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंद व बहु-विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक रिपोर्ट पेश करने में बहुत खुशी हो रही है। यह लगातार 5 वां वर्ष है, जो मुझे यह देखने के लिए रोमांचित करता है कि राष्ट्रीय न्यास अपने उद्देश्यों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर रहा है। 2015-16 में राष्ट्रीय न्यास द्वारा नई योजनाएं शुरू करने की पहल में बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन के जीवनकाल के दृष्टिकोण को देखा जा रहा है जो अब आकार ले रहा है इस वर्ष ज्यादातर मानकों पर सुधार हेतु कड़े उपायों को अपनाने के माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

मौजूदा केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए गैर-प्रदर्शनकारी संगठनों को हटाने की कोशिश की गई है, जिसकी आवश्यकता है। इस वर्ष ज्यादातर शांतिपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें निरंतर अनुवर्ती और प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस वर्ष स्थानीय स्तरीय समिति और कानूनी अभिभावक के मुद्दों को सक्रिय किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 5000 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

सेवाओं को प्रदान करने में राष्ट्रीय न्यास द्वारा दिखाए गए निरंतर प्रदर्शन ने द हंस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की निरंतरता को दिखाया है, जिसने वर्ष में निरामय-स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय न्यास को रु 37.67 लाख रुपये का सहयोग किया।

मैं ऐसे कई परोपकारी संगठनों के साथ इस लाभदायक साझेदारी को कई अनेक वर्षों तक बने रहने की कामना करता हूं जो मानवता की सेवा के हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में हमारे प्रयासों को साझा कर रहे हैं।

राष्ट्रीय न्यास के सभी प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

(रामदास आठवले)

शकुंतला डी गामलिन

अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड एवं सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Chairperson, Board of the National Trust & Secretary, Deptt. of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

सत्यमेव जयते

अध्यक्ष की रिपोर्ट

राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक आम बैठक के अवसर पर मुझे सभी पंजीकृत संगठनों, दिव्यांगजन के माता–पिता, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के न्यासियों, उपस्थित अतिथियों का स्वागत करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है।

हमारे समाज में, एक व्यापक गलत धारणा है कि दिव्यांगजन दया और सहानुभूति के पात्र हैं। लेकिन वास्तव में, वे अलग तरह से सक्षम हैं। उन्हें केवल अवसर की आवश्यकता है, दया और सहानुभूति नहीं, जो पूरी गरिमा और सम्मान के साथ समाज में रहने के योग्य हैं। यही कारण है कि सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संबंधित विभाग का नाम "विकलांगता मामलों के विभाग" से बदलकर "दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" किया गया है।

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मानसिकमंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के सशक्तीकरण के लिए सरकार की मदद करने वाला अधिनियम है, जिसे 1999 में पारित संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय न्यास अपने पंजीकृत संगठनों के माध्यम से, दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए अलग–अलग आयु समूहों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रहा है। सभी हितधारकों विशेष रूप से पंजीकृत संगठनों, दिव्यांगजनों के माता–पिता और और स्थानीय स्तरीय समिति की राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे हमारे प्रयास में मदद करें क्योंकि हितधारकों के अच्छे काम से इन दिव्यांगजनों का जीवन और गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

मैंने फरवरी, 2019 से राष्ट्रीय न्यास का अतिरिक्त प्रभार लिया है और राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय; बोर्ड के सदस्य; श्री मुकेश जैन एवं डॉ. प्रबोध सेठ, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी; और श्री निकुंज किशोर सुंदराय, वर्तमान संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं।

मुझे लगता है कि अभी भी राष्ट्रीय न्यास के कामकाज के बारे में विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों और आम जनता को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए अतीत में भी हमने उचित कार्यवाही की है और अगले वर्ष के दौरान हम जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे।

राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड की ओर से, मैं माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता श्री थावरचन्द गेहलोत; माननीय राज्य मंत्रीगण, श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री रामदास आठवले एवं श्री विजय सांपला को उनके निरंतर समर्थन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूं।

(शकुंतला डी गामलिन)

निकुंज किशोर सुंदराय

संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राष्ट्रीय न्यास
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

राष्ट्रीय न्यास की उन्नीसवीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ जुड़ने में मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है। मैंने 29.11.2018 को अपना पद संभाला।

विगत वर्ष में योजनाओं का एकत्रीकरण किया गया एवं केंद्र आधारित योजनाओं जैसे कि दिशा, विकास, घरौंदा एवं समर्थ में निधिकरण जारी रखा गया। निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में 96716 दिव्यांग लाभान्वित हुए। स्थानीय स्तरीय समिति ने भी ऑनलाइन प्रणाली से 5953 कानूनी अभिभावक नियुक्त किए।

वैश्विक अभ्यास के साथ संरेखित करने के लिए राष्ट्रीय न्यास ने बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू करने के लिए तथा ऑटिज्म के मूल्यांकन और प्रमाणन पर दो संगठनों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉ. हेंड्रिक जान बेकेडम के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें डॉ. शेफाली गुलाटी, हेड, चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर, AIIMS को भी आमंत्रित किया गया।

चूंकि वैश्विक विकलांगता योजना 2014–2021 WHO द्वारा तैयार की गयी थी इसीलिए राष्ट्रीय न्यास को इसमे संरेखित करना चाहिए इस बैठक में दोनों संगठनों के बीच सहभागिता वैश्विक अभ्यास के साथ संरेखित करने के लिए, ताकि बौद्धिक और विकास संबंधी विकलांग बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम के मूल्यांकन और प्रमाणन पर प्रशिक्षण डॉक्टरों के लिए। विकास हो सके।

राष्ट्रीय न्यास ने द हंस फ़ाउंडेशन के साथ 24.11.2018 से तीन वर्ष तक के लिए, समझौता ज्ञापन नवीनीकरण किया जिसके अंतर्गत निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना में वे अपना वित्तीय सहयोग जारी रखेंगे। हंस फ़ाउंडेशन ने निरामय लाभार्थियों के लिए, 31.03.2019 तक 1,45,49,436 रुपये का वित्तीय सहयोग दिया।

बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता बनाना राष्ट्रीय न्यास के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। हालांकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में, कानूनी संरक्षक की न्युक्ति का प्रावधान दिया गया है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सामना इन लोगों को अपने पूरे जीवन काल में करना पड़ रहा है। इन मुद्दों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय न्यास ने एक प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण कराया। इस प्रश्नावली को 1200 से अधिक हितधारकों को भेजा गया जिसमे पंजीकृत संगठन, बोर्ड के सदस्य, विशेषज्ञ शामिल थे। सर्वेक्षण की परिकल्पना और सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी तथा राष्ट्रीय न्यास हितधारकों से मिली प्रतिक्रियों पर कार्य करेगा क्यूंकि इन लोगों को सशक्त बनाने में कानूनी क्षमता एक महत्वपूर्ण पहलू है। बोर्ड ने राष्ट्रीय न्यास के द्वारा किए गए सर्वेक्षण की प्रशंसा की तथा इसको आगे जारी रखने की सलाह दी।

राष्ट्रीय न्यास ने एम्स, दिल्ली के सहयोग से वर्ष 2016 से देश भर के बालचिकित्सकों, मनोचिकित्सकों एवं क्लीनिकल मनोचिकित्सकों के लिए ऑटिज्म के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु **मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए हैं। जिससे ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अपने क्षेत्र के अन्य चिकित्सकों को ऑटिज्म के प्रमाणन हेतु प्रशिक्षित कर सकेंगे। इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय न्यास ने क्षेत्र में विशेषज्ञों से ऑटिज्म के मूल्यांकन, निदान और प्रमाणन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर एक सर्वेक्षण किया। एम्स ने राष्ट्रीय न्यास व राज्य नोडल एजेंसी केंद्र, दिल्ली के सहयोग से ऑटिज्म के क्षेत्र में कार्यरत बाल रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक व नैदानिक मनोचिकित्सक सहित लगभग 200 विशेषज्ञों को शामिल किया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर ने दो बैचों को प्रशिक्षित किया है जो जिला अस्पतालों में ऑटिज्म के प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर, 2016 से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। मेघालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से भी ऐसी ही रिपोर्ट मिली है।

चूंकि वर्तमान बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए वर्ष के दौरान बोर्ड सदस्यों का चुनाव भी आयोजित किया गया था। चुनाव के दौरान पूरी पारदर्शिता बनाए रखी गई और सफलतापूर्वक इसका संचालन किया गया।

हालांकि हमने सभी जिलों में स्थानीय स्तर की समितियों का गठन किया है, लेकिन जहाँ कोई पंजीकृत संगठन उपलब्ध नहीं है वहाँ हम समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर की समिति के कामकाज में प्रमुख भूमिका पंजीकृत संगठन की है। मुझे यकीन है कि क्षेत्र में काम करने वाली अधिक से अधिक संस्थाएं राष्ट्रीय न्यास के साथ हाथ मिलाएंगी, पंजीकृत होंगे और राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगी।

मैं इस अवसर पर माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत और माननीय राज्य मंत्रियों, श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री विजय सांपला और श्री रामदास आठवले को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं अध्यक्ष, श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन और पूर्व अध्यक्ष डॉ. के.के. पाण्डेय को उनके मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

मैं इस अवसर पर अपने सभी पंजीकृत संगठनों की भी सराहना करता हूँ। इन संगठनों द्वारा निभाई गई मजबूत भूमिका के कारण ही सामान्य जनता के बीच जागरूकता पैदा की जा सकी है एवं दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। वे राष्ट्रीय न्यास के मशाल वाहक हैं।

हम सभी जानते हैं, कि अधिक से अधिक नवीन एवं स्वयं सतत योजनाओं के साथ, हमारी गतिविधियों को कई गुना बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। हमारा प्रयास रहेगा कि देश के दूर–दराज क्षेत्रों में रह रहे राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता से प्रभावित हर व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

इस सपने को सफल बनाने के लिए हम सभी हाथ मिलाएं।

(निकुंज किशोर सुंदराय)

विषय सूची

क्र.सं. संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.	राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों की सूची	09
2.	राष्ट्रीय न्यास के स्थायी एवं संविदा कर्मियों की सूची	12
3.	परिचय	13
4.	स्वीकृत परियोजना व योजनाओं पर प्रकाश	13
	4.1 दिशा : बाल्य – कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना, 0–10 वर्ष के लिए	13
	4.2 विकास (दिन मे देखभाल) 10+ वर्ष के लिए	13
	4.3 दिशा–कम–विकास (दिन मे देखभाल)	14
	4.4 समर्थ (राहतकारी देखभाल)	14
	4.5 घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	14
	4.6 समर्थ–कम–घरौंदा (आवासीय)	14
	4.7 सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)	15
	4.8 ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)	15
	4.9 प्रेरणा (विपणन सहायता)	15
	4.10 संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)	15
	4.11 बढ़ते कदम (जागरूकता,सामुदायिक सहभागिता एवं अभिनव परियोजना)	15
	4.12 निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना	16
5.	1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन	17
6.	स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी.)	18
7.	कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति	19
8.	संगठनों का पंजीकरण	19
9.	राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (एस.एन.ए.सी.)	20
10.	राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.)	20
11.	बोर्ड की बैठक	20
12.	राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियाँ और विभिन्न सम्मेलन एवं कार्यशालाएँ	20
13.	श्री निकुंज किशोर सुन्दराय, आईएएस द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात की गयी पहल	23
14.	पंजीकरण/मान्यता समिति का गठन	27
15.	राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक आम बैठक	28
16.	सूचना का अधिकार अधिनियम	28
17.	वार्षिक लेखा 2018–19	39-56

राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सदस्यों की सूची
(31 मार्च 2018 तक)

क्र.सं.	नाम	पता	ई–मेल / दूरभाष
1.	श्रीमती शकुंतला डी गामलिन	सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड (कार्यकाल 28 / 1 / 2019 से)	contactus@thenationaltrust.in
2.	डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय	अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 16 बी, बड़ा बाज़ार रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली (कार्यकाल 25 / 1 / 2019 तक)	drkamleshd@gmail.com 011-43187800 9415203262
3.	श्री निकुंज किशोर सुंदराय	संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास (29 / 11 / 2018 से शुरु)	js_ceo_nt@thenationaltrust.in 011-43187801
4.	डॉ. प्रबोध सेठ	संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार), राष्ट्रीय न्यास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,(कार्यकाल 28 / 11 / 2018 तक)	jsda-msje@nic.in 011-43187801
5.	डॉ. प्रबोध सेठ	संयुक्त सचिव, विकलांगता मामले, (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली	jsda-msje@nic.in 011- 24369056, 8800415255
6.	श्री मनीष गर्ग	संयुक्त सचिव (एस.ई.), साक्षारता एवं शिक्षा विभाग, मानव संसाधन व विकास मंत्रालय, 221–सी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	maneesh.garg@nic.in 011-23386232, 9811586033
7.	श्री शिवदास मीणा	संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद मार्ग, नई दिल्ली – 110108	mshivdas@ias.nic.in 011-23062477 9445030000
8.	श्री सुधाकर शुक्ल	वित्तीय सलाहकार, (एनएसएपी–आईटी), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कमरा नंबर 465 बी, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001	shuklas@nic.in 011-24603026 / 24623455, 9868511656
9.	श्री मित्र सैन	उप महानिदेशक (ई), श्रम, मंत्रालय, कमरा संख्या 511, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	ddg-dget@nic.in; 011-23350896, 9810214696
10.	श्रीमती आस्था सक्सेना खटवानी	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	aastha.khatwani@nic.in 011-23388576, 9968309449

11.	श्री लव अग्रवाल	संयुक्त सचिव (मानसिक स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108	jslamohfw@gmail.com 011-23061195 9818778177
12.	सुश्री टी.सी.ए. कल्याणी	आर्थिक सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, कमरा नं–609 I, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	tca.kalyaani@nic.in; 011-23387924 9818091099
13.	श्री गोपाल सिंगाराजू (नवंबर 2018)	सदस्य, कॉन्फडेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नेशनल कमेटी ऑन स्पेशल एबिलिटीज एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, रॉयल बैंक ऑफ़ स्कॉटलैंड, 2–बी, ब्लॉक–बी, रेंट्री अपार्टमेंट, नंबर 2 वीनस कॉलोनी, आइंड स्ट्रीट क्रॉस, अलवरपेट – 600018, चेन्नई	gopal.singaraju@rbs.com 9840790120
14.	सुश्री उमा सेठ	अतिरिक्त संचालक, (फिक्की–सी.एस.आर), FICCI, फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली – 110001	uma.seth@ficci.com 011-23357243, 9899324304
15.	श्री जिग्नेश जोशी	प्रतिनिधि, जेएमपीसी बिल्ड लाइन प्रा. लि., 904–905, प्रेसीडेंट हाउस, सीएन स्कूल के सामने, अंबाबाड़ी, अहमदाबाद –380015	uma.seth@ficci.com 011-23357243 9899324304
16.	श्री अनिल जोशी	स्वीकार, 14, शिव शक्ति अपार्टमेंट, खामला मेन रोड, पांडे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र	anilujoshi@gmail.com 9818830940
17.	श्रीमती इंद्रानी बसु	नेशनल सेंटर फॉर ऑटिज़्म, पॉकेट 7 और 8, जसोला विहार, नई दिल्ली 110025	acationforautism@gmail.com indran71@gmail.com 9971083615
18.	श्री अजीत सिंह महावीरसिंह शेखावत	शेखावत डगरा एंड एसोसिएट्स, बी –313, स्वागत रैन फॉरेस्ट–II, कुदासन, गांधीनगर – 382421, गुजरात	ajeets.ca@gmail.com 999844669
19.	डॉ. (श्रीमती) सुतापा शर्मा	द्वारा डॉ टी के शर्मा, शर्मा अपार्टमेंट, गांधी बस्ती, 2nd बायलेन, हाउस नंबर 1, गुवाहाटी – 781003, असम	dimshospitalmatgharia@gmail.com, sutapasarma456@gmail.com 0361-2665317, 9435010440
20.	डॉ पी. अरुमुगम पिल्लई	पी.एस.मेडिकल कैंपस सेंटर, पुथुविलाई, थालाकुलम, नेयूर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	psmt_hospital@yahoo.in 04651-220074 9443133035

21.	श्री गुरइकबाल सिंह बेदी	5–बी हरगोबिंद नगर पटियाला – 147001	membernationaltrust@gmail.com; presidentautismindiatoday@gmail.com 9356767367, 9417686400
22.	सुश्री सीमा तुली	एन –192 ग्रेटर कैलाश–I, ग्रेटर कैलाश एस.ओ. दक्षिण दिल्ली – 110048	ajschool1981@gmail.com 9899297346
23.	श्री पुष्प पाल सिंह	सी –47 राजेंद्र नगर बरेली, इज़्ज़ात नगर यूपी	designviews540554@gmail.com; designviews540554@yahoo.com 9568181368 / 9412288074

- दिनांक 25/1/2019 को डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय के कार्यकाल की समाप्ति पर, श्रीमती शकुंतला डी गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास के रूप में दिनांक 28/1/2019 से अतिरिक्त प्रभार संभाला।

- श्री निकुंज किशोर सुंदराय ने दिनांक 29/11/2018 से राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार संभाला। इससे पहले डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे।

राष्ट्रीय न्यास के नियमित एवं अनुबंधित कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री उमेश कुमार शुक्ल	सहायक विधि सलाहकार
2.	श्री राजेश सचदेवा	लेखाधिकारी
3.	श्री नवनीत कुमार	कार्यक्रम अधिकारी
4.	श्री सुरेश कुमार ठुकराल	निजी सचिव
5.	श्रीमती सुषमा घई	निजी सचिव
6.	श्रीमती रजनी मैसी	निजी सहायक
7.	श्रीमती श्रेष्ठा साहनी	निजी सहायक
8.	श्री अमिताभ त्रिवेदी	लेखाकार
9.	श्रीमती मोनिका वधवा	कार्यक्रम सहयोगी
10.	श्रीमती वंदना चोपड़ा	कार्यक्रम सहयोगी
11.	श्री भरत सिंह नेगी	कनिष्ठ लिपिक
12.	श्रीमती रेखा ममगाँई	एम टी एस
13.	श्री रामबिलास राजभर	एम टी एस
14.	श्री राम आशीष गौड़	एम टी एस

अनुबंधित कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	श्री जसविंदर पाल सिंह खेरा	लेखा सहायक
2	श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव	तकनीकी सहायक (आईटी)
3	श्री तिलक राज	कार्यालय सहायक
4	श्रीमती पुष्पा पांडे	कार्यालय सहायक
5	श्रीमती अनीता रानी	कार्यालय सहायक
6	श्री गुडु	सफाई कर्मचारी

3. परिचय

राष्ट्रीय न्यास स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संसद के एक अधिनियम, 1999 द्वारा बनाया गया एक सांविधिक निकाय है। अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय न्यास के निम्नलिखित उदेश्य हैं:–

1. दिव्यांगजन को समर्थ और सशक्त बनाना, जिससे कि वे पूर्ण रूप से समाज से जुड़कर यथा संभव स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें, जिसके वे अभिन्न अंग हैं;
2. दिव्यांगजन को अपने परिवार के बीच रहने के लिए व उनकी मूलभूत सुविधाओं को अधिक मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना
3. पंजीकृत संगठनो को सहायता प्रदान करना जिससे वे विकलांगजन के परिवार को पारिवारिक संकट अवधि के दौरान आवश्यक आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करा सकें;
4. दिव्यांगजन की समस्याओं का निपटारा करना जिन्हें पारिवारिक सहायता नहीं मिलता;
5. दिव्यांगजन के संरक्षको या माता पिता की मृत्यु होने की स्थिति में उनकी देख–रेख और सुरक्षा के लिए उपाय प्रस्तुत करना;
6. दिव्यांगजन जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए कानूनी संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति के लिए क्रिया विधि तैयार करना;
7. दिव्यांगजन की पूर्ण भागीदारी, समान अवसर और सुरक्षा अधिकार प्राप्त किए जाने को सुगम बनाना; और
8. अन्य कार्य, जो उपर्युक्त उद्देश्यों के आनुशंगिक हों।

राष्ट्रीय न्यास मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए काम करता हैं – कानूनी सहायता व कल्याणकारी योजनाओ का संचालन। स्थानीय स्तरीय समितियों के माध्यम से कानूनी सरंक्षकता प्रदान की जाती हैं, जबकि योजनाओ के माध्यम से कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय न्यास के अन्य क्रियाकलापों के अतिरिक्त प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आश्रय व देखभाल एवं सशक्तिकरण करना शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं उनको पूर्ण भागीदारी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

4. नवंबर 2015 में प्रारम्भ की गयी नई/संशोधित योजनाओं के मुख्य बिन्दु एवं इसके अंतर्गत स्वीकृत परियोजनायें निम्नलिखित हैं –

4.1 दिशा : बाल्य–कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में समाहित चार प्रकार की विकलांगताओं से युक्त 0 से 10 वर्ष तक की आयु समूह वाले बच्चों के लिए बाल्य – कालिक और स्कूल तैयारी की योजना है। इस योजना का लक्ष्य दिशा केंद्र स्थापित करना है और दिव्यांगजन के बाल्य काल में ही चिकित्सा, प्रशिक्षण और उनके परिवार के सदस्यों के जरिये शीघ्र हस्तक्षेप करना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं द्वारा दिन में कम से कम 4 घंटे (प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच) दिव्यांगजन की देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं। दिशा केंद्र में दिव्यांगजन के लिए विशेष शिक्षकों अथवा बाल्यकालिक हस्तक्षेप थेरापिस्ट, फिजिओथेरेपिस्ट अथवा ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और काउन्सलर तथा देखभालकर्ता और आया की व्यवस्था होती है। ताकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित बच्चों और माता पिता दोनों को प्रशिक्षण (विशेषकर स्कूल हेतू तैयारी) तथा परामर्श दिया जा सके। केंद्र में देखभालकर्ता एवं आया के साथ–साथ दिव्यांगजन के लिए एक विशेष शिक्षक या प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट या व्यावसायिक चिकित्सक और परामर्शदाता होता है। संशोधित प्रारंभिक हस्तक्षेप योजना में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के स्थान पर 0 से 10 वर्ष आयु वर्ग को कवर करने के प्रावधान होंगे, जैसा कि पहले की योजना में विचार किया गया था।

देश में 115 दिशा केन्द्र हैं जहॉ 2617 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 27 दिशा केन्द्रों में 317 लाभार्थियों के लिये 169.26 लाख रूपये की धनराशि 2018–19 के दौरान निर्गत की गई। अब तक 867.03 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

4.2 विकास (दिन मे देखभाल)

यह दिन में देख–भाल की योजना है जिसका उद्देश्य, उन दिव्यांगजन जिनकी आयु 10 वर्ष से अधिक हैं जो बढ़ती हुई उम्र में हैं, के

लिए अवसरों का विस्तार करना है ताकि उसके अंतर–वैयक्तिक एवं रोजगारपरक कौशल में वृद्धि हो सके। जितने समय दिव्यांग विकास केन्द्र में रहता है, उतने समय केन्द्र उस व्यक्ति की देख–भाल की सुविधा प्रदान कर्ता है। साथ ही, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सहायता करने में भी उनको मदद करता है, ताकि दिन में उन्हें अपने अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय मिल सके। पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांगजन को दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 से अपराह्न 6 बजे के बीच) देख–भाल की सुविधा प्रदान करनी होती है, जिसमें आयु–विशिष्ट गतिविधियाँ भी शामिल होती हैं विकास केंद्र महीने में कम से कम 21 दिन खुलता है।

देश में 124 विकास केन्द्र हैं जहॉ 4357 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 35 विकास केन्द्रों में 637 लाभार्थियों के लिये 285.53 लाख रूपये की धनराशि 2018–19 के दौरान निर्गत की गई। अब तक 1439.98 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

4.3 दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय दिशा–कम–विकास योजना (डे केयर) आवंटित की गयी।

देश में 38 दिशा–कम–विकास केन्द्र हैं जहॉ 2018–19 के दौरान 1052 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के अंतर्गत 295.36 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की गई।

4.4 समर्थ (राहतकारी देखभाल)

समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथों अथवा संकटग्रस्त परिवारों और बी.पी.एल तथा एल.आई.जी परिवारों से आने वाले दिव्यांगजन को और ऐसे निराश्रितों को राहतकारी देखभाल उपलब्ध कराना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत शामिल चार विकलांगताओं में से कम से कम एक विकलांगता के अंतर्गत आते हों। इसका उद्देश्य दिव्यांगजन के परिवार के सदस्यों के लिए ऐसे अवसर पैदा करना है कि वे अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राहतकारी समय पा सकें। इस योजना का उद्देश्य ऐसा समर्थ केन्द्र की स्थापना करना है जहाँ सभी आयु समूह के लिए सामूहिक गृह सेवा मिल सके, और जिसमें देखभाल की पर्याप्त एवं उत्तम सेवाओं से युक्त स्वीकार्य जीवन–स्तर की सुविधाओं के साथ–साथ पेशेवर चिकित्सक द्वारा बुनियादी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध हो।

देश में 45 समर्थ केन्द्र हैं जहॉ 1461 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 8 समर्थ केन्द्रों में 111 लाभार्थियों के लिये 113.38 लाख रूपये की धनराशि 2018–19 के दौरान निर्गत की गई। अब तक 707.75 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

4.5 घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु–विकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन को जीवन भर के लिए न्यूनतम आधारभूत गुणवत्ता एवं देखभाल सेवाओं के साथ आवासीय सुविधा प्रदान करना है। घरौंदा केंद्र में रोजगारपरक गतिविधियों, रोज़गार–पूर्व तथा आगे के प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। यह योजना पूरे देश में निश्चित तौर पर देखभाल प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है जो दिव्यांगजन को स्थायी तौर पर स्वतन्त्रता और गरिमा के साथ रहने को प्रोत्साहित करती है।

देश में 50 घरौंदा केन्द्र हैं जहॉ 1235 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 17 समर्थ केन्द्रों में 235 लाभार्थियों के लिये 181.24 लाख रूपये की धनराशि 2018–19 के दौरान निर्गत की गई। अब तक 985.96 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं।

4.6 अप समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो कई योजनाओं को संचालित कर रहे थे, उनको विलय योजना को संचालित करने के लिए एक विकल्प दिया गया था। पंजीकृत संगठनों द्वारा दी गई सहमति और योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर, इन पंजीकृत संगठनों को 1–4–2018 से विलय समर्थ–कम–घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी।

देश में 12 समर्थ–कम–घरौंदा केन्द्र हैं जहॉ 2018–19 के दौरान 160 लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के अंतर्गत 70.90 लाख रूपये की धनराशि निर्गत की गई।

4.7 सहयोगी (केयर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना)

इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजन और उनके जरुरतमंद परिवारों को पर्याप्त और पोषण युक्त देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल का निर्माण तथा केयर एसोसिएटस को प्रशिक्षित करने के लिए केयर एसोसिएट प्रकोष्ठों की स्थापना करना है। इसके अलावा, अगर दिव्यांगजन के माता–पिता भी केयर एसोसिएट बनने में रुचि रखते है तो, उन्हें प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। यह योजना प्राथमिक और उन्नत दोनों स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजन के परिवारों और अन्य संस्थानों के दिव्यांगजन की आवश्यकताओं की पूर्ति (एनजीओ, कार्यशाला आदि) के लिए केयर एसोसिएटस के प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करती है।

देश में 56 सहयोगी प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहॉ 1762 केयर एसोसिएट प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इनमें 9 सहयोगी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा में 183 केयर एसोसिएट 2018–19 के दौरान प्रशिक्षित किये गए। योजना के दौरान अब तक 179.81 लाख रूपये जारी किए जा चुके हैं जिसमें 2018–19 के दौरान जारी राशि 14.63 लाख शामिल है।

4.8 ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)

ज्ञान प्रभा योजना को वर्ष 2015–16 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता व बहु–विकलांग दिव्यांगजन को शैक्षिक पाठ्यक्रम जैसे स्नातक पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार या स्व–रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना था।

दिनांक 27.12.2017 को आयोजित अपनी 76 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई नया नामांकन नहीं किया गया। 6 मौजूदा लाभार्थियों को उनके मौजूदा पाठ्यक्रम के लिए रु 2.90 लाख की राशि जारी की गई। इन लाभार्थियों को योजना के बंद होने से पहले नामांकित किया गया था।

4.9 प्रेरणा (विपणन सहायता)

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजन द्वारा बनाए गए उत्पादों व सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य एवं व्यापक माध्यमों का विकास करना है। इस योजना का लक्ष्य दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे प्रदर्शनियों, मेलों, आदि में भाग लेने के लिए पंजीकृत संगठनों को धन उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन द्वारा निर्मित उत्पादो की बिक्री के आधार पर पंजीकृत संस्था को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए मेलों, प्रदर्शनियों आदि में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर के कार्यक्रमों में पंजीकृत संगठनों की भागीदारी के लिए निधि उपलब्ध कराता है। किन्तु इन कार्य – केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी दिव्यांगजन होने चाहिए जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांग हों ।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

4.10 संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)

इस योजना का लक्ष्य भारत के ऐसे प्रत्येक नगर में एक संभव केंद्र की स्थापना करना है जिनकी आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक हो । इन केन्द्रों में सहायक सामग्री व सहायता–उपकरणों, सॉफ्टवेयर एवं अन्य सामग्री को समन्वित और संकलित किया जाता है। और उनको प्रदर्शित करने और चलाकर दिखाने का प्रावधान होता है। राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर इन संभव केन्द्रों में उपलब्ध सहायक सामग्री व सहायता–उपकरणों से संबंधित सूचना रखने का प्रावधान भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत दिव्यांगजन की बेहतरी और सशक्तीकरण के लिए सहायक उपकरणों, साधनों, सॉफ्टवेयर आदि के बारे में सूचना प्रदान करना और उन तक पहुँच को सुगम बनाना है।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

4.11 बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता एवं अभिनव परियोजना)

इस योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की पंजीकृत संस्थाओं को ऐसी गतिविधियाँ संचालित करने में सहायता करना है जो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में विहित विकलांगताओं के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। बढ़ते कदम का लक्ष्य दिव्यांगजन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, उनमें चेतना लाना, दिव्यांगजन को समाज में एकीकृत करके उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है। राष्ट्रीय न्यास प्रत्येक पंजीकृत संस्था के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 4 कार्यक्रम प्रायोजित करता है। प्रत्येक पंजीकृत संस्था को हर वर्ष (समुदाय, शैक्षिक

संस्थानों अथवा चिकित्सा संस्थानों के लिए) कम से कम 1 कार्यक्रम अवश्य आयोजित करना चाहिए। बढ़ते कदम पहले राष्ट्रीय न्यास की एक गतिविधि थी जो अब एक योजना में परिवर्तित कर दी गई है।

इस योजना के तहत 126 पंजीकृत संगठनों को मंजूरी दी गयी है और अब तक 3.67 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

4.12 निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

इस योजना का उद्देश्य स्वपरायणता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन के लिए किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। नामांकित लाभार्थियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मामूली शुल्क चुकाकर 1 लाख रुपये तक की राशि का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है:

शुल्क सारिणी : निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 से लागू, नामांकन और नवीकरण के लिए पूर्ण शुल्क चार्ट निम्नानुसार है: –

नामांकन सारणी –

दिव्यांगजन की श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
बी.पी.एल	250 रुपये	50 रुपये
नॉन – बी.पी.एल	500 रुपये	250 रुपये
दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी सरंक्षक (माता–पिता के अलावा)	मुफ्त	मुफ्त

जिन शीर्षकों (लाभ चार्ट) के तहत लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, इस प्रकार हैं :

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना – संशोधित लाभ तालिका				
केवल प्रतिपूर्ति आधार पर (अप्रैल 2015 से)				रुपये
खंड	उप–खंड	विवरण	उप–सीमा	खंड की समग्र सीमा
I	**अस्पताल में भर्ती होने संबंधी समग्र सीमा**			**70,000/ –**
	क	वर्तमान और जन्मजात विकलांगता सुधार हेतु शल्य–क्रिया	40,000/–	
	ख	गैर–शल्य क्रिया/अस्पताल में भर्ती होना	15,000/–	
	ग	विकलांगता को और बढ़ने से रोकने के लिए शल्य–क्रिया	15,000/–	
II	**बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) के लिए समग्र सीमा**			**14,500/ –**
	क	ओपीडी इलाज, जिसमे दवाएं, रोगों की जांच, निदान संबंधी परीक्षण आदि	8,000/–	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगजन की नियमित चिकित्सा जांच	4,000/–	
	ग	चिकित्सीय निवारक दंत चिकित्सा	2,500/–	
III	**विकलांगता और उससे संबंधी जटिलताओं के कुप्रभाव को कम करने के लिए अनवरत चिकित्सा**			**10,000/ –**
IV	**वैकल्पिक चिकित्सा**			**4,500/ –**
V	**परिवहन व्यय**			**1,000/ –**
प्रति व्यक्ति कवरेज की समग्र सीमा				**1,00,000/–**

वर्ष 2018–19 के दौरान, 96716 लाभार्थियों को नामांकित किया गया है। कुल 9691 दावों का निपटारा किया गया है। इस योजना के तहत कुल व्यय 803.99 लाख रुपये है। वर्तमान में, योजना अप्रैल, 2015 से मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लागू की जा रही है।

5. दिनांक 1 अप्रैल 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं का कार्यान्वयन

20 मार्च 2018 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की 77 वीं बैठक में अनुमोदित, राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत दिनांक 1 अप्रैल 2018 से हो चुकी है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः

(क) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में, दो योजनाएं अर्थात दिशा और विकास को जोड़कर एक योजना दिशा–कम–विकास में विलय किया जाएगा। इसी तरह, समर्थ और घरौंदा को भी जोड़कर एक ही योजना में समर्थ–कम–घरौंदा में विलय कर दिया जाएगा। किसी भी मामले में, एक पंजीकृत संगठन (आरओ) को एक से अधिक योजना मंजूर नहीं की जाएगी।

(ख) इन योजनाओं की संरचना का विवरण निम्नानुसार होगाः

क्रम संख्या	मौजूदा योजना दिशा (बाल्यकालिक हस्तक्षेप एवं स्कूल तैयारी योजना)	मौजूदा संशोधित संरचना		मौजूदा संशोधित संरचना	संरचना		
		मासिक लागत (रुपये)	मासिक आवर्ती निधि (रुपये)		सेट अप (रुपये)	मासिक आवर्ती राशि (रु.)	आवश्यक कर्मचारी
1	विकास (दिन में देखभाल–10 वर्ष से अधिक)	1.55 लाख	4,500/–	दिशा–कम–विकास योजना (बैच संख्या – 40)	1.55 लाख	3500/ – (3000/ – + वाहन / 500/– प्रतिमाह प्रति लाभार्थी अधिकतम 30 बीपीएल दिशानिर्देशों के अनुसार अनुपात की स्थिति वही रहेगी।	(1) प्रारंभिक हस्तक्षेप चिकित्सक / ओटी / पीटीः कोई भी दो (2) विशेष शिक्षक/ वोकेशनल ट्रेनरः कोई एक (3) परामर्शदाताः सप्ताह में 3 बार (4) देखभालकर्ताः 02 (5) आयाः 02
2	समर्थ (आवासीय देखभाल योजना)	1.95 लाख	4,850/–				
3	घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह)	2.90 लाख	7,000/–	समर्थ–कम–घरौंदा (आवासीय देखभाल) योजना (बैच साइज 30)	1.90 लाख	20 पात्र बीपीएल लाभार्थियों के लिए अधिकतम रू 5000/	(1) OT: 01 (2) पीटीः 01 (3) विशेष शिक्षक/वोकेशनल ट्रेनरः कोई एक (4) देखभालकर्ताः 03 (5) आयाः 02 (6) रसोइयाः 01
4	मौजूदा योजना	2.90 लाख	10,000/–				
5	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)				पूर्व रूप में		
6	ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहायता)		यह योजना बंद की जा चुकी है क्योंकि समान योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामा . न्याय व अधि. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।				
7	सहयोगी (केयर एसोशिएट प्रशिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रशिक्षु लागतः प्राइमरी– 4200/– एडवांस – 8000/– 2) प्रशिक्षु वेतन– प्राइमरी – 5000/– एडवांस– 1000/–			50,000/–	1) प्रशिक्षु लागतः प्राइमरी– 2000/– एडवांस– 3000/– 2) प्रशिक्षु वेतन– प्राइमरी – 3000/– एडवांस– 5000/–
8	प्रेरणा (विपणन सहायता)			योजना संशोधित की जा			
9	संभव (सहायक सामग्री और सहायता उपकरण)			योजना संशोधित की जा			
10	बदते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव परियोजना)			प्रत्येक पंजीकृत संस्था द्वारा			

(ग) राष्ट्रीय न्यास बोर्ड या विशेष रूप से गठित उप–समिति के निर्णय आने तक किसी भी पंजीकृत संस्था को किसी भी योजना के तहत कोई नई मंजूरी नहीं दी जाएगी। हालांकि, यह उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्व संचालित घरौंदा योजना के लिए लागू नहीं होगा। बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के अनुसार, संशोधित घरौंदा योजना को पुराने घरौंदा योजना में समायोजित किया जाना है।

(घ) कोई भी पंजीकृत संस्था को केवल एक प्रकार की योजना लागू करने की अनुमति दी जाएगी, जैसे डे केयर (दिशा–कम–विकास योजना) या आवासीय देखभाल (समर्थ–कम–घरौंदा)। यह मौजूदा योजना धारकों के लिए भी लागू होगा।

(ड़) वित्तीय वर्ष 2018–19 से, मौजूदा योजना धारकों के लिए, चार केंद्र आधारित योजनाओं जैसे–दिशा, विकास, घरौंदा और समर्थ से एकल योजनाओं को लागू करने के लिए निधि वितरण निम्नानुसार होगा:

- दिशा एवं विकास योजनाओं के तहत मासिक आवर्ती निधि प्रति व्यक्ति प्रति लाभार्थी रुपये 3000/–+रुपये 500/– (यात्रा व्यय) रहेगी तथा समर्थ एवं घरौंदा योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी, प्रति माह रुपये 5000/ – रहेगी।
- लाभार्थियों की संख्या योजना दिशानिर्देशों के अनुसार समान रहेगी जैसे – दिशा–20, विकास–30, घरौंदा–20 एवं समर्थ–30
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त पोषित बीपीएल लाभार्थी की अधिकतम संख्या दिशा एवं विकास योजना हेतु 20 बीपीएल तथा समर्थ एवं घरौंदा योजना हेतु 15 बीपीएल लाभार्थियों तक ही सीमित होगी।
- किसी भी मामले में, पंजीकृत संस्था को एक समय में एक से अधिक योजना मंजूर नहीं की जाएगी।
- यह राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

दिनांक 27.12.2017 को आयोजित राष्ट्रीय न्यास कि 76 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई नया नामांकन नहीं किया गया था। छह मौजूदा लाभार्थियों को उनके चल रहे पाठ्यक्रम के लिए रु 2,89,823/– की राशि जारी की गई। इन लाभार्थियों को योजना के बंद होने से पहले नामांकित किया गया था।

6. स्थानीय स्तरीय समिति (एल.एल.सी)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के तहत प्रत्येक जिले में एक स्थानीय स्तरीय समिति तीन साल की अवधि के लिए या जब तक यह राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड द्वारा पुनर्गठित की जाए, निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाती है: –

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला के जिला आयुक्त से नीचे के पद का नहीं होगा;
- किसी पंजीकृत संगठन का एक प्रतिनिधि; और
- एक दिव्यांगजन सदस्य जो विकलांगता अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के खण्ड 2 की धारा (टी) में परिभाषित हो।

स्थानीय स्तरीय समिति का मुख्य कार्य कानूनी संरक्षक के आवेदन को जाँचना, नियुक्ति करना, निगरानी करना और हटाना है। स्थानीय स्तरीय समिति जागरूकता फैलाना, दिव्यांगजन का समावेश करना और उन्हे मुख्य धारा से जोड़ना जैसे गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है।

स्थानीय स्तरीय समितियों को और जवाबदेह बनाने के लिए, इन समितियों के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी जिलों के जिलाधिकारी/जिला दंडाधिकारी को ऑनलाइन कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु लॉग इन आई.डी. और पासवर्ड भेज दिये गए हैं। स्थानीय स्तरीय समिति की सदस्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकृत संगठनों एवं दिव्यांगजन को उपयुक्त फॉर्म, एवं जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, राष्ट्रीय न्यास को ऑनलाइन जमा करवाना है। राष्ट्रीय न्यास के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद स्थानीय समिति के गठन और पुनर्गठन आदेश को डाउनलोड किया जा सकता है।

अब तक 688 स्थानीय स्तरीय समिति का गठन देश के सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में डीसी / डीएम की अध्यक्षता में किया गया है और उन सभी स्थानीय स्तरीय समितियों को 22.23 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिन्होंने कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नई ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सन् 2003 से अब तक कुल 39511 कानूनी अभिभावक नियुक्त किये गये हैं (31142 – नये योजना प्रबंधन प्रणाली से पहले)। 2016–17 में 100 कानूनी अभिभावक, 2017–18 में 2555 कानूनी

अभिभावक और वर्ष 2018–19 में 2555 कानूनी अभिभावकों को नियुक्त किया गया। 1529 अनुमोदित एवं 4424 सत्यापित कानूनी अभिभावक हैं। (सत्यापित मामले वे स्वीकृत मामले हैं जिनमें ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र को समिति के अध्यक्ष द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित करके फिर से ऑनलाइन अपलोड किया गया है)।

अस्वीकरण – उपरोक्त आंकड़ा ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली में देखी गयी तारीख के अनुसार है। जो कि स्थानीय स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार बदल सकता है।

7. कानूनी संरक्षक की नियुक्ति

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17, स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजन के लिए कानूनी संरक्षण को दर्शाती है। कानूनी संरक्षकता का प्रावधान आवश्यकता के आधार पर है।

(ख) एक संरक्षक वह व्यक्ति है जो किसी दिव्यांगजन व उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति उस दिव्यांगजन की ओर से सभी कानूनी फैसले लेने में सक्षम है जिसके लिए उसको कानूनी अभिभावक बनाया गया है।

(ग) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांग दिव्यांगजन एक ऐसी विशेष स्थिति में होते हैं जिसमे वे 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर भी अपने दैनिक जीवन को सुचारु रूप से चलाने में तथा स्वयं के सुधार के लिए कानूनी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाते। अतः उन्हें जीवनभर एक कानूनी अभिभावक की आवश्यकता होती है जो उनकी रुचि के आधार पर उनके फैसले का प्रतिनिधित्व कर सके। हालांकि, सेरेब्रल पाल्सी और बहुविकलांग दिव्यांगजन के मामलों में उन्हें कानूनी अभिभावक की आवश्यकता सीमित हो सकती है क्योंकि वर्तमान उपलब्ध तकनीकी और/या वैज्ञानिक सुविधा उन्हें स्वयं के फैसले हेतु सक्षम बनाती है तथा कानूनी अभिभावक की आवश्यकता को कम कर सकती है तथा दिव्यांगजनों को जीवन के अनेक उतार–चढ़ाव में स्वतन्त्रता के साथ काम करने में सक्षम बनाती है।

(घ) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 14 के तहत, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय स्तर की समिति को स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से प्रभावित दिव्यांगजन हेतु अभिभावकों की नियुक्ति करने के लिए नियम 16 (1) के तहत फॉर्म ए में आवेदन प्राप्त करने और नियम 16 (2) के तहत फॉर्म बी के तहत प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। यह उनकी संपत्तियों सहित उनकी रुचियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए भी एक ढांचा प्रदान करता है।

8. संस्थाओं का पंजीकरण

(क) राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या अभिभावक संघ या दिव्यांग व्यक्तियों के संस्थान, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांग दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की 21 धारा), या धारा 25 के तहत पंजीकृत कंम्पनियां या पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और संबंधित राज्य में विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत हों, ऑनलाइन फार्म के साथ प्रपत्र 'ई' को भरकर संगठन के अध्यक्ष/महासचिव का स्टाम्प तथा हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे संगठनों का पंजीकरण आवश्यक होगा।

(ख) राष्ट्रीय न्यास, ने दिनांक 24.11.2015 को 10 नई/संशोधित योजनाओं एवं नई वैबसाइट का शुभारंभ किया। पंजीकरण के आवेदन एवं अनुमोदन या अस्वीकार करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। पंजीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है। एनजीओ के ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेज संलग्न होते हैं। यह प्रक्रिया न केवल ऑन–लाइन है, अपितु पारदर्शी भी है। प्रत्येक आवेदक स्वचालित रूप से आवेदन की स्थिति ई–मेल अलर्ट द्वारा प्राप्त करता है। संगठनों का पंजीकरण वर्ष भर किया जाता है।

(ग) गैर–सरकारी संगठन जो राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत हैं और जब उनका विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो उनको विकलांगता अधिनियम के तहत नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 6 महीने से एक वर्ष तक की रियायती अवधि दी जाती है ।

वर्ष 2017–18 के दौरान 98 संगठनों ने 29 राज्यों से ऑनलाइन पंजीकरण किया है। सभी पंजीकृत संस्थाओं की सूची, (जिलेवार एवं राज्यवार), राष्ट्रीय न्यास की वैबसाइट पर देखी जा सकती है ।

वर्ष 2018–19 के दौरान, 98 पंजीकृत संगठनों (RO) ने ऑनलाइन पंजीकरण किया है और नई प्रणाली के लॉन्च होने के बाद से दिनांक 24.11.2015 से 31.3.2018 तक नई प्रबंधन प्रणाली में पंजीकृत संगठनों की कुल संख्या 579 है जिसकी सूची वेबसाइट पर राज्यवार और जिलेवार देखी जा सकती है।

9. राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC)

राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं राज्य सरकारों के साथ समन्वय/संपर्क स्थापित करने के लिए हर राज्य में एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, देश में 25 राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) कार्यरत हैं जिसकी सूची राष्ट्रीय न्यास की वैबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे नीचे दी हुई लिंक के माध्यम से खोला जा सकता है।

www.thenationaltrust.gov.in/content/registered_organization.php

राष्ट्रीय न्यास अपनी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं नेटवर्किंग के लिए संस्थागत गतिविधियों जैसे कि पंजीकृत संगठनों के साथ बैठकें; अन्य गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्तर समितियों (LLC) और राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) आदि की बैठकों के संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है।

इस वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) को कुल 67.37 लाख रुपये की राशि जारी की गयी। विस्तृत जानकारी हमारी वैबसाइट पर उपलब्ध है।

10. राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC)

राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों को हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) गठित करने के लिए अनुरोध किया गया है। हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव, जो दिव्यांगजन से संबन्धित कार्य को देखते हैं को इसका अध्यक्ष बनाया गया है एवं संबंधित प्रदेश के राज्य नोडल एजेंसी सेंटर (SNAC) को समिति का संयोजक बनाया गया है। अब तक, 26 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है।

11. बोर्ड की बैठक

इस वर्ष के दौरान पाँच बोर्ड की बैठक आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों के कार्यवृत, बोर्ड के सभी न्यासियों को शीघ्रता से भेज दिये गए एवम कार्यवृत्तों को राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के हस्ताक्षर के बाद रजिस्टर में भी चिपका दिया गया। पाँच बोर्ड बैठक की तारीख इस प्रकार हैं: –

क्रमांक	बैठक की संख्या	बैठक की तिथि
1	78वीं	18.06.2018
2	79वीं	10.09.2018
3	80वीं	05.12.2018
4	81वीं	26.03.2019

12. राष्ट्रीय न्यास की अन्य गतिविधियां, विभिन्न सम्मेलन एवं कार्यशालाएं

12.1 ऑटिज्म के निदान, प्रबंधन और प्रमाणन के लिए ऑटिज्म टूल पर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यशाला :

राष्ट्रीय न्यास ने चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन वर्तमान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस रिसर्च फॉर चाइल्डहुड न्यूरो–डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बाल रोग विभाग, एम्स, दिल्ली के साथ मिलकर बाल रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों हेतु ऑटिज्म के निदान, प्रबंधन और प्रमाणन के लिए ऑटिज्म टूल्स पर प्रशिक्षण के लिए चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 6 से 8 अप्रैल, 2018 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया था। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती शकुंतला डी. गामलिन, सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास; प्रोफे. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, दिल्ली आदि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

3 दिवसीय कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों के 80 चिकित्सकों / पेशेवरों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। ये मास्टर ट्रेनर ऑटिज्म टूल का उपयोग करने के लिए अपने क्षेत्र में अन्य चिकित्सकों / पेशेवरों को प्रशिक्षित करेंगे। इससे पहले अन्य 3 कार्यशालाओं में देश के विभिन्न हिस्सों के 200 से अधिक चिकित्सकों / पेशेवरों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

12.2 आईआईटी, दिल्ली के छात्रों का सम्मान जिन्होंने अभिनव परियोजनाएं को आरंभ किया :

राष्ट्रीय न्यास ने बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लाभ हेतु आईआईटी, दिल्ली के छात्रों को प्रशिक्षुओं के रूप में नवीन परियोजनाओं पर काम करने के लिए शामिल करने की पहल की।

इन छात्रों को दी गई 6 परियोजनाएँ थीं –

प्रोजेक्ट – I : समावेशी भारत अभियान के लिए एक अभिनव एकीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करना।

प्रोजेक्ट–II : ऑटिज्म एवं अन्य वाक् दुर्बलता सहित अन्य बौद्धिक दिव्यांगजन हेतु ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन डिवाइस विकसित करना ।

प्रोजेक्ट–III : वीडियो ट्यूटोरियल की एक श्रृंखला बनाना जो दैनिक जीवन की गतिविधि (ADL), विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के शिक्षण आदि की सुविधा प्रदान कर सके।

प्रोजेक्ट–IV : बौद्धिक दिव्यांगजनों की क्षमताओं और उपलब्धियों का रचनात्मक संकलन।

प्रोजेक्ट–V : राष्ट्रीय न्यास और इसके पंजीकृत संगठनों के लिए एक कौशल आधारित स्वयंसेवी पोर्टल का निर्माण।

प्रोजेक्ट–VI : देश भर में विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम सेवाओं की ऑनलाइन निर्देशिका।

छात्रों ने विभिन्न स्तरों पर अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया और 19 अप्रैल 2018 को आईआईटी दिल्ली परिसर में डॉ के.के. पाण्डेय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास; प्रो संजीव सांघी, डीन, अलुम्नी अफेयर्स एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स; प्रोफेसर एम बालाकृष्णन, उप निदेशक, रणनीति और योजना, आईआईटी, दिल्ली और कुछ पंजीकृत संगठनों (आरओ) के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

12.3 सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य आयुक्तों (दिव्यांगजन) की समीक्षा बैठक :

28 से 29 मई, 2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) कार्यालय द्वारा राज्य आयुक्तों (दिव्यांगजन) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय न्यास के सहायक विधि सलाहकार ने इस बैठक में भाग लिया और राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों, विशेष रूप से स्थानीय स्तरीय समिति के कामकाज के बारे में और राष्ट्रीय न्यास की योजना प्रबंधन प्रणाली के बारे में विस्तार से बताया।

12.4 दिनांक 9.8.2018 को जबलपुर, मप्र में आयोजित स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक

राष्ट्रीय न्यास की योजनाओ, कार्यकमों एवं स्थानीय स्तरीय समिति पर कार्यशाला – 09.08.2018, जबलपुर, म.प्र.

जबलपुर उच्च न्यायालय के वकीलों के लिये संवेदीकरण कार्यक्रम – 09.08.2018, जबलपुर, म.प्र.

राष्ट्रीय न्यास के सहायक कानूनी सलाहकार, श्री यू. के. शुक्ल, जिला प्राधिकारी, जबलपुर द्वारा आयोजित 9 अगस्त, 2018 की सुबह राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों जबलपुर में स्थानीय स्तरीय समिति की एक बैठक में शामिल हुए। जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर और अन्य अधिकारीगण (डाकघर, स्कूल, उप–पंजीयक कार्यालय) बैठक में शामिल हुए। 9 अगस्त, 2018 की शाम को, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री आर.के. वर्मा ने जबलपुर उच्च न्यायालय में प्रैक्टिसिंग वकील की एक बैठक आयोजित की। सहायक विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के महत्व को समझाया विशेष रूप से ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक एवं बहु–विकलांग दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए गठित स्थानीय स्तर की समिति के माध्यम से कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति, जहां अदालतों का क्षेत्राधिकार सीमित है। बैठक में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी बताया गया और प्रतिभागियों के बीच पत्रक वितरित किए गए।

12.5 राज्य नोडल एजेंसी केंद्र, केरल और सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार द्वारा आयोजित कानूनी संरक्षकता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

कार्यशाला का आयोजन केरल सरकार द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2019 को होटल प्रशांत, पीएमजी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन श्रीमती शैलजा टीचर, माननीय सामाजिक न्याय और स्वास्थ्य मंत्री, केरल सरकार द्वारा किया जाना था। लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका। बैठक में केरल के मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय, केरल सरकार; श्री जफर मलिक, निदेशक; और श्री यू. के. शुक्ल, सहायक विधि सलाहकार, राष्ट्रीय न्यास ने भाग लिया। श्री शुक्ला ने राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और कार्यक्रमों और कानूनी संरक्षकता मुद्दों पर प्रस्तुति दी। जैसा कि केरल सरकार इस क्षेत्र में बहुत सक्रिय रही है फिर भी प्रतिभागियों के बीच कई तरह के संदेह रहे हैं, जो कि श्री शुक्ल द्वारा हल किए गए।

कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी मुख्यतः जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि; जिला पुलिस प्रमुख; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व पूर्व उप–न्यायाधीश; जिला विधि अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला पंजीयक, जिला सामाजिक न्याय अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, स्थानीय स्तरीय समिति के संस्था सदस्य व दिव्यांग सदस्य मौजूद थे। कार्यशाला में कुल 126 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

स्थानीय स्तरीय समिति एवं कानूनी संरक्षकता पर राज्य स्तरीय कार्यशाला – 12.02.2019, तिरूवनंतपुरम, केरल

12.6 राष्ट्रीय न्यास की राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों (SNACs) की समीक्षा बैठक

राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र की पुनरीक्षण बैठक – 12.11.2018, दिल्ली

राष्ट्रीय न्यास के अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवंबर, 2018 को राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों के प्रशिक्षण के लिए एक समीक्षा बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में श्री अनिल जोशी, बोर्ड सदस्य; राष्ट्रीय न्यास के अधिकारी; 23 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के एसएनएसी समन्वयक शामिल हुए।

सभी एसएनएसी समन्वयकों ने अपने कार्यक्षेत्रों के साथ अपनी कार्य रिपोर्ट को विस्तार से प्रस्तुत किया। पंजाब और मध्य प्रदेश के एसएनएसी समन्वयक ने उनके राज्यों में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रस्तुति दी।

बैठक के दौरान, उन राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों से अतिरिक्त प्रभार वापस लेने का निर्णय लिया गया जो एक से अधिक राज्यों के प्रभार को देख रहे हैं। इन राज्यों की देखरेख सीधे राष्ट्रीय न्यास द्वारा की जाएगी। राज्य नोडल एजेंसी केंद्रों से अनुरोध किया गया कि वह सिविल सोसाइटी के माध्यम से धन जुटाने के लिए रास्ता तलाशे। एसएनएसी को अपने संबंधित राज्यों के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को सिविल सोसाइटी के माध्यम से धन जुटाने और उनके पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षित करने के लिए कहा गया।

13. दिनांक 29.11.2018 को श्री निकुंज किशोर सुन्दराय, आईएएस द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात की गयी पहल –

13.1 डब्ल्यूएचओ के साथ परामर्श बैठक।

ऑटिज्म के आकलन एवं प्रमाणन एवं विश्व व्यापी बाल्यकालिक हस्तक्षेप कार्यक्रम में सहभागिता हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं राष्ट्रीय न्यास के बीच परामर्श बैठक – 22.01.2019, दिल्ली

दिनांक 22–01–2019 को डॉ. हेंड्रिक जान, बेकेडम, भारत में डब्ल्यू.एच.ओ के प्रतिनिधि, के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई। श्री निकुंज किशोर सुंदराय, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास; प्रो (डॉ) शेफाली गुलाटी, चीफ, चाइल्ड न्यूरोलॉजी डिवीजन, एम्स, दिल्ली और राष्ट्रीय न्यास के अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। परामर्श बैठक का मुख्य एजेंडा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए ऑटिज्म के मूल्यांकन और प्रमाणन पर चिकित्सकों के प्रशिक्षण और सार्वभौमिक प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू करने के लिए दो संगठनों के बीच सहयोग विकसित कर रहा है

13.2 डिजिटल समावेश के माध्यम से मुख्यधारा दिव्यांगजनों को से जोंडने पर राष्ट्रीय परामर्श सेमिनार

डिजिटल समावेश के माध्यम से हाशिए पर मुख्यधारा पर राष्ट्रीय परामर्श सेमिनार – 01.02.2019

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 1 फरवरी, 2019 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दिल्ली द्वारा आयोजित "डिजिटल समावेश के माध्यम से हाशिए पर मुख्यधारा पर राष्ट्रीय परामर्श सेमिनार" में एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

प्रेजेंटेशन में, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी, वर्तमान परिदृश्य में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए दिव्यांगता पर सबसे मजबूत अधिदेश, सुगमता पर सर्वेक्षण और ऑडिट , डिजिटल असमानताओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर पहुंच, के बारे में बताया।

13.3 उत्तराखंड में राष्ट्रीय न्यास की राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक

राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक – 04.02.2019, उत्तराखण्ड

दिनांक 4 फरवरी 2019 को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) की बैठक में राष्ट्रीय न्यास से संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सहायक कानूनी सलाहकार ने भाग लिया। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड; राज्य विकलांगता आयुक्त; अतिरिक्त सचिव, राज्य समाज कल्याण विभाग शामिल हुए।

राज्य में राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ SLCC का गठन किया गया है। बैठक के दौरान, उत्तराखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय न्यास की सभी स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) को सक्रिय करने, उत्तराखंड में राष्ट्रीय न्यास के योजना केंद्रों की स्थापना और अन्य गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय की से पंजीकरण करने हेतु प्रेरित करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

13.4 दिव्यांगजनों के समुदाय आधारित पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला और एक पुस्तक "द जर्नी ऑफ सीबीआर" का विमोचन

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने 6 फरवरी 2019 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, दिल्ली में "समुदाय आधारित पुनर्वास पर राष्ट्रीय कार्यशाला" में एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक

समुदाय आधारित पुनर्वास पर कार्यशाला – 6.2.2019, दिल्ली

न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

प्रस्तुति के दौरान दिव्यांगजनों के विभिन्न मुद्दों एवं आधुनिक युग की डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके निवारण पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यशाला का आयोजन भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय न्यास के एक पंजीकृत संगठन – विकास ने किया था।

13.5 जेएनयू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर ग्लोबल सिम्पोजियम

संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास द्वारा जे.एन.यू., दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांगजनों के लिये सुरक्षा उपायों एवं ओडिशा में आपदा तैयारी पर प्रस्तुति – 04.02.2019

12 वीं–13 मार्च 2019 को नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान के विशेष केंद्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आपदा प्रबंधन के साथ दिव्यांगता की मुख्यधारा में अनुभव, देश में आपदा प्रबंधन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है।

उन्होंने इस संगोष्ठी में "ओडिशा में आपदा तैयारी" पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपायों पर भी जोर दिया, जिन्हें देश भर में लागू किया जाना है। प्रस्तुति को सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के बीच व्यापक रूप से सराहा गया।

13.6 हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू का नवीनीकरण

राष्ट्रीय न्यास ने 17.01.2019 को हंस फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया। एमओयू के तहत, हंस फाउंडेशन राष्ट्रीय न्यास को योजनाओं और गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हंस फाउंडेशन ने निरामय योजना के लिए पहले एमओयू जो 24.11.2015 को 3 साल के यानी 23.11.2018 तक हस्ताक्षर किए हैं, के तहत राष्ट्रीय न्यास को रु. 1,17,15,954/– की राशि प्रदान की। वर्तमान एमओयू 24.11.2018 से अन्य 3 वर्षों के लिए प्रभावी है।

13.7 ग्रामोदय मेला

राष्ट्रीय न्यास ने 24–27 फरवरी, 2019 के दौरान चित्रकूट में 'ग्रामोदय मेला' में भाग लिया, जोकि महान समाज सुधारकों श्री नानाजी देशमुख और श्री दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। मेला के दौरान, राष्ट्रीय न्यास की पुस्तिकाएं और ब्रोशर प्रदर्शित किए गए। आगंतुकों को पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी गयी। वीडियो और फिल्में भी प्रदर्शित कि गईं जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों और क्षेत्र में काम करने वाले संगठन / पेशेवरों के साथ उनकी उपलब्धियों और अच्छे कार्यों को दर्शाती हैं। दिव्यांगजन के विभिन्न मुद्दों जैसे – विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को विभिन्न सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलना भी शामिल थे, को संबोधित किया गया।

ग्रामोदय मेला, चित्रकूट में भागीदारी – 24 से 27 फरवरी 2019

13.8 बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों के निर्माण मेडिको कानूनी क्षमता के क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण।

बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों की कानूनी क्षमता का निर्माण राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य में से एक है। इन व्यक्तियों के कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में किया गया है। इसके अलावा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका सामना इन लोगों को अपने पूरे जीवन काल में करना पड़ रहा है। इन मुद्दों का आकलन करने के लिए, नेशनल ट्रस्ट ने एक प्रश्नावली के माध्यम से एक सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें नेशनल ट्रस्ट के पंजी.त संगठनों, बोर्ड के सदस्यों और विशेषज्ञों / संसाधन व्यक्तियों सहित 1200 से अधिक हितधारकों को परिचालित किया गया है।

13.9 डाउन सिंड्रोम अभिभावक मुलाक़ात

विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दिनांक 15.3.2019 को ताज महल होटल, नई दिल्ली आयोजित पैरेंट मीट में भाग लिया और बैठक को संबोधित किया। उन्होंने प्रेस से भी मुलाकात की और मुद्दे पर कई प्रश्नों को संबोधित किया।

विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के अवसर पर, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास का प्रेस के साथ साक्षात्कार – 15.3.2019

13.10 बोर्ड बैठक का आयोजन

दिनांक 26.3.2019 को बोर्ड की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित बिंदु लिए गए थे:

1. राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड के चुनाव परिणाम की घोषणा।
2. बौद्धिक और विकासात्मककी कानूनी दिव्यांगजन की क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए सर्वेक्षण
3. ऑटिज़्म के आकलन, निदान और प्रमाणन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर सर्वेक्षण
4. राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में एक पुस्तकालय स्थापित करना
5. "उत्तर पूर्व विकलांगता शिखर सम्मेलन" के लिए प्रायोजन

14. पंजीकरण / मान्यता समिति का गठन

20.3.2018 को आयोजित अपनी 77 वीं बोर्ड बैठक में राष्ट्रीय न्यास बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018–19 से धनराशि जारी करने, संशोधित दिशानिर्देश तैयार करने और मौजूदा पंजीकृत संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करने, पंजीकरण और विभिन्न मापदंडों के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक 'पंजीकरण' / 'सत्यापन' समिति का गठन करने का निर्णय लिया। समिति उन संस्थाओं का निराकरण करने की कोशिश करेगी जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

इस अवधि के दौरान समिति की दो बैठकें दिनांक 5.7.2018 और 20.9.2018 को आयोजित की गईं, जिसमें राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं को लागू करने वाले संस्थाओं पर विभिन्न सिफारिशें ली गईं। इसके अलावा, समिति ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए कई दिशानिर्देशों की सिफारिश की।

15. राष्ट्रीय न्यास की वार्षिक आम बैठक 2018

राष्ट्रीय न्यास की 18 वीं वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) दिनांक 10 सितंबर 2018 को विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय द्वारा की गयी।

डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय न्यास ने सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने योजना के तहत दिशानिर्देशों के संशोधन में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।

इस बैठक में इसमें 130 पंजीकृत संगठनों (आर.ओ.) से 200 प्रतिभागियों व राष्ट्रीय न्यास के अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

इसके बाद बैठक में राष्ट्रीय न्यास की विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा (ओपन हाउस) की गई। पंजी. संगठनों और अन्य प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय न्यास से संबन्धित विभिन्न मुद्दों/योजनाओं पर चर्चा की तथा समाधान, स्पष्टीकरण और सुझाव दिए।

18वीं वार्षिक आम बैठक, विश्व युवक केंद्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 10.09.2018

प्रश्नोत्तर सत्र, 18वीं वार्षिक आम बैठक – 10.09.2018

16. सूचना का अधिकार अधिनियम

राष्ट्रीय न्यास सूचना का अधिकार कानून 1995 के निभिन्न प्रावधानों का पालन कर रहा है। इसके अनरूप अपील प्राधिकारी एवं लोक सूचना पधाधिकारी का विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

अपील प्राधिकारी	लोक सूचना पदाधिकारी
श्री यू के शुक्ल सहायक विधि सलाहकार राष्ट्रीय न्यास 16 बी, बड़ा बाजार मार्ग पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली – 110060 फोन : 011–43187804 ईमेल : ala@thenationaltrust.in	श्री नवनीत कुमार कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय न्यास 16 बी, बड़ा बाजार मार्ग पुराना राजिन्दर नगर नई दिल्ली – 110060 फोन : 011–43187805 ईमेल : po@thenationaltrust.in

सूचना का अधिकर अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में ऑफलाइन तरीके से 62 आवेदन प्राप्त हुए एवं 153 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए। 3 अपील प्राप्त हूईं। इन सभी आवेदनों का उार निर्धारित समय के भीतर दे दिया गया।

अस्वीकरण

हिंदी एवं अंग्रेजी वार्षिक प्रतिवेदन में दी गयी जानकारी के संबंध में किसी भी तरह के अंतर/विसंगति के मामले के निराकरण हेतु अंग्रेजी संस्करण को ही मुख्य प्रतिलिपी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

वार्षिक लेखा
2018–19

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन पत्र

		(सभी आंकड़े रुपयों में)	
संचित निधि/पूंजी निधि और देनदारियां:	**अनुसूची**	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
संचित निधि	1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
पूंजी निधि	1	159,566,982.00	119,903,731.00
आरक्षित और अधिशेष	2	0.00	0.00
निर्धारित ? अक्षय निधि	3	2,751,344.00	2,751,344.00
सुरक्षित ऋण और उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण और उधार	5	0.00	0.00
स्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	21,887,248.00	12,106,567.00
कुलः		**1,184,205,574.00**	**1,134,761,642.00**
संपत्तिः			
अचल संपत्ति	8	2,534,223.00	2,927,623.00
निवेश – संचित निधि से	9	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
अन्य निवेश	10	60,000,000.00	60,000,000.00
वर्तमान परिसंपत्तियाँ,ऋण, अग्रिम राशि आदि	11	121,671,351.00	71,834,019.00
विविध खर्च		0.00	0.00
(बट्टा खाते में या समायोजित नहीं की गयी सीमा तक)			
कुलः		**1,184,205,574.00**	**1,134,761,642.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	विगत वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
	(रू.)	(रू.)	I- व्यय	(रू.)	(रू.)
I. प्रारम्भिक शेष			**स्थापना व्ययः** क) अनुसूची 20 के अनुसार रू. 2,12,00,864/– घटाएँ : डीसीआरजी (D.C.R.G.-) के लिए प्रावधान / रु. 12,61,156.00/– अवकाश नकदीकरणः रू. 5,28,825/–	19,410,883.00	20,168,874.00
क) हाथ में नकदी	0.00	0.00	ख) प्रशासनिक व्यय (तदनुसार 21 अनुसूची के लिए)	13,405,395.00	15,216,256.00
ख) बैंक शेष					
ग) चालू खाते में	0.00	0.00	II- विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के एवज में भुगतान		
घ) बचत खातों में	52,027,180.00	10,467,715.00	क) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान (अनुसूची 22): रु 20,00,86,830/– कमः अंशदान (i) हंस	188,333,182.00	251,105,760.00
II. प्राप्त अनुदान					
			III. जमा और निवेश राशि		
राज्य सरकार से	0.00	0.00	क) आरबीआई बांड में निवेश	0.00	0.00
			ख) अन्य निवेश (बैंक सावधि जमा)	0.00	0.00
			IV. अचल सम्पत्तियों पर व्यय एवं चल रही कार्यपूंजी	0.00	0.00
			क) अचल संपत्तियों की खरीद	72,442.00	0.00
III. से निवेश पर आय			**V. अधिशेष राशि/कर्ज वापसी**		
क) आरबीआई बांड पर ब्याज	84,800,000.00	84,800,000.00	क) भारत सरकार को	0.00	0.00
ख) अन्य निवेशः सावधि जमा पर ब्याजः रू. 0.00 रुपए जोड़ाः उपार्जित ब्याज की जमा राशिः रु. 1,41,33,333/– घटायाः जमा राशिः रू. 1,41,33,333/–	0.00	3,486,653.00	ख) राज्य सरकार को	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

IV. प्राप्त ब्याज			ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	0.00	0.00
बैंक बचत पर (बचत बैंक)	2,066,597.00	964,857.00			
V. अन्य प्राप्तियां / आय			VI. वित्त प्रभार		
क) निरामय प्राप्ति रू. 1,85,17,077 / –	1,85,17,077.00	11,527,729.00	(तालिका 23)	0.00	0.00
ख) समा. न्या. व अधि. मंत्रा. से प्राप्त सहायता अनुदान (2018–19) रू .16,23,34,000 / –	162,334,000.00	152,502,000.00	VII.. अन्य भुगतान		
ग) दान	3,004,660.00	2,907,303.00	1 कार्यालयों को प्रेषित:		
घ) एन.एच.पी.सी. लिमिटेड (प्रायोजन)	0.00	196,000.00	क) पिकअप (PICUP),लखनऊ (सहा.वि.सलाहकार)	0.00	0.00
ड़) पंजीकरण शुल्क	232,000.00	741,997.00	ख) जीवन बीमा निगम	25,380.00	50,237.00
च) सूचना का अधिकार (R.T.I.) शुल्क	300.00	280.00	ग) पी.एफ.आर.डी.ए. (PFRDA) नई पेंशन योजना के लिए	2,169,882.00	2,032,970.00
छ) विविध प्राप्तियाँ / आय	100,400.00	18,958.00			
ज) प्राप्त जमा पर प्रोत्साहन राशि	0.00	0.00	घ) शहरी विकास मंत्रालय को	0.00	0.00
VI. राशि उधार	0.00	0.00	ङ) A.G. छत्तीसगढ़	279,240.00	0.00
VII. अन्य कोई रसीद			च) A.G. मध्य प्रदेश	25,660.00	450594.00
a) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बॉन्ड की 8 प्रतिशत परिपक्वता	0.00	0.00	छ) निदेशालय सम्पदा	283,384.00	542,161.00
ख) एफ़डीआर (FDRs) का नकदीकरण		70,300,000.00	ज) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	5,000.00	9500.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

ग) लोतिका सरकार एंडॉमेंट फंड (ब्याज)	200,000.00				
VIII. अन्य कार्यालयों को भेजी गयी रकम की वसूली			2. अन्य विविध. भुगतान:		
क) सेवाओं के लिए अग्रिम राशि का समायोजन (फ़र्मों / संस्थानों) 1) विश्व यूवक केन्द्र–रु. 55,298 / – 2) अशोका टूर्स एंड ट्रेवल्स :– रू. 58,689 / – 3) विज्ञान भवन, नईदिल्ली–रु. 3,54,644 / – 4) ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड :– रू. 37,67,148 / – 5) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर :– रू. 96,941 / –	4,332,720.00	2,269,948.00	क) विविध अग्रिम (फ़र्मों / संस्थानों) : 1) विश्व युवक केन्द्र–रु. 55,298 / – 2) अशोका टूर्स एंड ट्रेवल्स–रु. 58,689 / – 3) विज्ञान भवन, नई दिल्ली–रु. 1,44,644 / – 4) ओरिएंटल इन्शुरेंस कंपनी लिमिटेड–रु. 37,67,148 / – 5) इंडिया इंटरनेशनल सेंटर–रू. 96,941 / –	4,122,118.00	1,632,013.00
ख) A.G. ओड़ीशा	279,240.00	0.00	ख) अवधि बाधित चेक	0.00	0.00
ग) जीवन बीमा निगम	25,380.00	50,237.00	ग) डाक के लिए अग्रिम	0.00	0.00
घ) वेतन से नई पेंशन योजना (सीपीएस) के लिए रिकवरी	2,169,882.00	2,032,970.00	घ) लोतिका सरकार एंडॉमेंट फंड (पुरस्कार)	200,000.00	0.00
ङ) A.G. छत्तीसगढ़	0.00	0.00	ङ) आकस्मिक अग्रिम	79,000.00	177,100.00
च) A.G. मध्य प्रदेश	25,660.00	450594.00	च) यात्रा अग्रिम	102,668.00	176,166.00
छ) सम्पदा निदेशालय	283,384.00	542,161.00	छ) एलटीसी (L.T.C.) अग्रिम	232,964.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

ज) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	5,000.00	9,500.00	ज) त्योहार अग्रिम	0.00	0.00
			झ) लेखा जांच शुल्क हेतु प्रावधान	0.00	0.00
IX. वसूली, रिफंड और अग्रिम का समायोजन			ञ) T.D.S. (ठेकेदार)	1,035,946.00	1,271,017.00
क) सिक्योरिटी डिपॉजिट फर्म	20,000.00	1,080.00	त) T.D.S. (वेतन)	1,585,215.00	1,710,100.00
ख) आकस्मिक अग्रिम	79,000.00	1,89,000.00	थ) संविदा कर्मचारी सुरक्षा राशि जमा	0.00	0.00
ग) डाक के लिए अग्रिम	0.00	0.00	द) फर्मों की जमा राशियां: मेसर्स – सोनेक्स प्रिंट पैक प्रा. लि.	20,000.00	46,560.00
घ) यात्रा अग्रिम	132,341.00	146,493.00	ध) लेखापरीक्षक, ओड़ीशा को श्री एन.के. सुंदराय का एचबीए (HBA) ब्याज़	165,000.00	0.00
ङ) एलटीसी अग्रिम	232,964.00		VIII) जमा शेष		
च) मोटर वाहन अग्रिम		0.00	क) हाथ में नकदी		
छ) भवन निर्माण अग्रिम (165000+28896)	193,896.00	28,896.00	ख) बैंक राशि:		
ज) त्योहार अग्रिम	0.00	0.00	i) चालू खातों में		
झ) टीडीएस (T.D.S.), ठेकेदार	1,035,946.00	1,271,017.00	ii) बचत खातों में	102,133,683.00	52,027,180.00
ञ) टीडीएस (T.D.S.), वेतन	1,585,215.00	1,710,100.00			
ट) अवधि बाधित चेक	4,200.00	1,000.00			
कुल	**333,687,042.00**	**346,616,488.00**	**कुल**	**333,687,042.00**	**346,616,488.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 वर्ष के अंत तक आय और व्यय खाता

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
बिक्री / सेवाओं से आय	12	0.00	0.00
अनुदान / सब्सिडी / प्रायोजन	13	162,334,000.00	134,698,000.00
शुल्क / सदस्यता	14	22,516,225.00	17,749,574.00
निवेश से आय (आरबीआई बांड में)	15	84,800,000.00	84,800,000.00
रॉयल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0.00	0.00
बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	17	2,066,597.00	964,857.00
अन्य आय	18	3,105,360.00	2,926,541.00
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी	19	0.00	0.00
कुल (ए)		**274,822,182.00**	**241,138,972.00**
व्यय			
स्थापना खर्च	20	21,200,864.00	27,491,609.00
प्रशासनिक व्यय आदि	21	13,405,395.00	15,216,256.00
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	200,086,830.00	256,585,608.00
ब्याज, आदि	23	0.00	0.00
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष के अंत में शुद्ध योग)	8	465,842.00	589,478.00
कुल (बी)		**235,158,931.00**	**299,882,951.00**
बकाया आय की व्यय पर आधिक्य (ए–बी)		**39,663,251.00**	**58,743,979.00**
विशेष रिजर्व में स्थानांतरण (प्रत्येक को निर्दिष्ट करें)		0.00	0.00
सामान्य रिजर्व / पूंजी रिजर्व में स्थानांतरण		**39,663,251.00**	**58,743,979.00**
पूंजीगत निधि / रिजर्व में परिसंपत्तियों की शेष राशि की लागत			
विशिष्ट लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियाँ	25		

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 1

	(सभी आंकड़े केवल रुपए में)			
अनुसूची 1 – संचित/पूंजी निधि	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
संचित निधि				
वर्ष के प्रारम्भ में जमा राशि	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	
जोड़ें: संचित निधि की दिशा में योगदान	0.00		0.00	
जोड़ना/(घटाना): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय का शेष आय/(व्यय)	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**
पूंजी निधि/आरक्षित निधि				
वर्ष के आरंभ में जमा राशि : आरक्षित पूंजी निधि	119,903,731.00		178,647,710.00	
जोड़ें: आय से अधिक व्यय	39,663,251.00		(58,743,979.00)	
कटौती:–	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में शेष राशि : आरक्षित पूंजी निधि	**159,566,982.00**	**159,566,982.00**	**119,903,731.00**	**119,903,731.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 2

अनुसूची–2 भंडार और अधिशेष:	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
1. पूंजी आरक्षित				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कम: वर्ष के दौरान कटौती				
2. पुनर्मूल्यांकन जमा राशि				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त				
कम: वर्ष के दौरान कटौती				
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार				
वर्ष के दौरान अतिरिक्त राशि				
कम: वर्ष के दौरान कटौती				
4. जनरल रिजर्वेशन				
अंतिम खाते के अनुसार				
कम: पूंजी निधि के अंतर्गत दर्शाए गए पिछले वर्षो में खरीदी गई अचल संपत्तियों की लागत का समायोजन				
इसके अलावा वर्ष के दौरान पूंजी निधि के अंतर्गत व्यय से अधिक आय का रिजर्वेशन करने के लिए				
पूंजीगत निधि में हस्तांतरित अचल सम्पत्तियों की लागत/जमा				
कम: वर्ष के दौरान कटौती				
कुल	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 3

अनुसूची 3: निर्धारित \ अक्षय निधिः	**निधि आधारित आंकड़े**		**योग**	
	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
क) एफ़सीआरए (FCRA) की प्रारंभिक जमा राशि–रु 1,51,344/– डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि – रु. 26,000,00/	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**
ख) वर्ष के दौरान धन के अलावा				
प) एफ़सीआरए वीएसओ (F.C.R.A. VSO)	0.00	0.00	0.00	0.00
पप) डॉ लोतिकासरकार अक्षय निधि	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
कुल (ख)	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
ग) निधियों के उद्देश्यों हेतु उपयोग/व्यय				
हस्तांतरित विविध प्राप्तियाँ				
प) एफ़सीआरए	0.00	0.00	0.00	0.00
पप) डॉ लोतिकासरकार अक्षय निधि	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
कुल (ग)	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**
घ) वर्ष के अंत में शेष (क+ख–ग)				
प) एफ़सीआरए	151,344.00	151,344.00	151,344.00	151,344.00
पप) डॉ लोतिका सरकार अक्षय निधि	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
कुल (घ)	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**	**2,751,344.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 4, 5 व 6

अनुसूची 4: सुरक्षित ऋण और उधार;	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6.ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
अनुसूची 5–असुरक्षित ऋण और उधार				
1. केंद्र सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
3. वित्तीय संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00
क) मीयादी ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अन्य संस्थाएं और एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
6. ऋण पत्र और बॉन्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
7. सावधि जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8. अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00
नोटः एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				
अनुसूची 6: स्थगित ऋण देयताएं:	0.00	0.00	0.00	0.00
क) पूंजीगत उपकरणों और अन्य संपत्तियों के हाइपोथेकेशन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00	0.00	0.00
नोटः एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि				

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिंए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 7

अनुसूची 7: वर्तमान देयताएँ और प्रावधान:	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
क) वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां	0.00		0.00	0.00
2. विविध लेनदार				
जमा सुरक्षा राशि (फर्मों द्वारा रु. 2,15000/– व संविदा कर्मचारी द्वारा रु. 62,000/–)	277,000.00		277,000.00	277,000.00
3.दावा रहित सुरक्षा राशि	0.00		0.00	0.00
4. ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0.00		0.00	0.00
5. सांविधिक देयताएं–	0.00		0.00	0.00
6. अन्य				
1. दिशा–कम–विकास योजना देय खाता रु. 39,79,500/– 2. दिशा योजना देय खाता रु. 16,66,500/– 3. विकस योजना रु. 23,40,500/– 4. व्यावसायिक शुल्क देय खाता रु. 5,28,825/–	8,515,325.00	8,792,325.00	0.00	0.00
कुल (क)	8,792,325.00	8,792,325.00	277,000.00	277,000.00
ख) प्रावधान:				
1. कर लगाने के लिए (टीडीएस–ठेकेदार)	0.00	0.00	0.00	
2. ग्रेच्युटी	5,882,182.00	5,882,182.00	5,175,908.00	
3. अवकाश के नकदीकरण के लिए प्रावधान	7,087,248.00	7,087,248.00	6,532,366.00	
4. अन्य (अवधि बाधित चेक पर देयताएं)	125,493.00	125,493.00	121,293.00	
कुल (ख)	13,094,923.00	13,094,923.00	11,829,567.00	11,829,567.00
कुल (क + ख)	21,887,248.00	21,887,248.00	12,106,567.00	12,106,567.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 8

अनुसूची 8 :	कुल खंड				मूल्यह्रास				कुल शुद्ध संपत्ति	
अचल संपत्ति	लागत/वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान निपटारा	लागत/मूल्यांक न वर्ष के अंत में	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान बढोत्तरी	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष अंत तक कुल	वर्तमान वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. इमारतें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. फर्नीचर, फिटिंग	3,513,760.00	0.00	0.00	3,513,760.00	1,997,852.00	151,590.00	0.00	2,149,442.00	1,364,318.00	1,515,908.00
5. कार्यालय उपकरण	2,931,563.00	0.00	0.00	2,931,563.00	1,649,740.00	192,273.00	0.00	1,842,013.00	1,089,550.00	1,281,823.00
6. कंप्यूटर/बाहरी उपकरण	4,665,575.00	0.00	0.00	4,665,575.00	4,536,647.00	77,357.00	0.00	4,614,004.00	51,571.00	128,928.00
7. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें	195,537.00	72442.00	0.00	267,979.00	194,573.00	44,622.00	0.00	239,195.00	28,784.00	964.00
8. प्रकाशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. अन्य अचल संपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**11,306,435.00**	**72,442.00**	**0.00**	**11,378,877.00**	**8,378,812.00**	**465,842.00**	**0.00**	**8,844,654.00**	**2,534,223.00**	**2,927,623.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 9 व 10

	(सभी आंकड़े रुपए में)	
अनुसूची 9 – संचय निधि से निवेश	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी (Shares)	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): i. आरबीआई बांड में जमा	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
ii. राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा	0.00	0.00
कुल	**1,000,000,000.00**	**1,000,000,000.00**
अनुसूची 10 – अन्य निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में (आरबीआई बांड)	60,000,000.00	60,000,000.00
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	0.00	0.00
3. हिस्सेदारी (shares)	0.00	0.00
4. ऋणपत्र एवं बॉण्ड	0.00	0.00
5. सहायक एवं संयुक्त उपक्रम	0.00	0.00
6. अन्य (निर्दिष्ट): राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ सावधि जमा	0.00	0.00
कुल	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 11

अनुसूची–11: वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि:	**वर्तमान वर्ष**		**विगत वर्ष**	
क. वर्तमान संपत्ति:				
क) संग्रहित एवं बाहरी	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) खुली सहायक सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) शेयर–इन–ट्रेड (प्रकाशन)	0.00		0.00	
आरंभिक स्टॉक:	0.00		0.00	
जोड़ें: वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.00		0.00	
घटाएँ: मुफ्त वितरण	0.00		0.00	
घटाएँ: नकदी हेतु विक्रय	0.00		0.00	
वर्ष के अंत में जमा शेष	0.00	0.00	0.00	0.00
2. विविध देनदार:				
क) ऋण छह माह से अधिक के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
3. उपलब्ध शेष नकदी (चेक/ड्राफ्ट और रकम सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. बैंक बैलेंस:				
a) अनुसूची बैंकों के साथ:				
–चालू खातों पर	0.00		0.00	
–जमा खातों पर	0.00		0.00	
–बचत खातों पर	102,133,683.00	102,133,683.00	52,027,180.00	52,027,180.00
b) गैर–अनुसूची बैंकों के साथ:				
–चालू खातों	0.00	0.00	0.00	0.00
–जमा खातों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
–बचत खातों पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5. डाकघर–बचत खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग (क)	**102,133,683.00**	**102,133,683.00**	**52,027,180.00**	**52,027,180.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां				
1. अग्रिमः				
क) आकस्मिक अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
2. अग्रिम और अन्य नकद में वसूली योग्य राशि या दूसरे प्रकार में प्राप्त होने वाला मूल्यः				
(क) पूंजी खाते पर	0.00	0.00	0.00	
(ख) अन्य पूर्व भुगतान				
(i) मेसर्स एनएचएफ़डीसी (B.K. अम्बाला के लिए) 3,33,000/– मेसर्स एनएसकेएफ़डीसी दिल्ली (बी.के. अंबाला और कर्नाटक प्रदर्शनियों के लिए) रु. 9,33,973/– विज्ञान भवन, नई दिल्ली रु. 44,000/–	1,310,973.00		1,521,575.00	
(ii) डाक भेजने के लिएः शांति इंटरनेशनल – रू. 22,242/–(बढ़ते कदम सामग्री) एम.आर.एस. इंटरनेशनल – रु.1,35,000/(बढ़ते कदम सामाग्री)	157,242.00		157,242.00	
(iii) कर्मचारियों के लिए अग्रिमः एचबीए (H.B.A.) – रु. 36,120/–	36,120.00		94,689.00	
(iv) सिक्योरिटी डिपॉजिट (किराया)	3,900,000.00	5,404,335.00	3,900,000.00	5,673,506.00
3. उपार्जित आय				
क) आरबीआई बॉन्ड्स में से निवेश पर	14,133,333.00		14,133,333.00	
ख) अन्य निवेश पर	0.00		0.00	
ग) भारतीय स्टेट बैंक–प्रोत्साहनराशि (Incentive)	0.00		0.00	
घ) सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (शासकीय अनुदान)	0.00	14,133,333.00	0.00	14,133,333.00
4. दावा प्राप्त करने योग्य	0.00	0.00		
कुल योग (ख)		19,537,668.00		19,806,839.00
कुल योग (क + ख)		**121,671,351.00**		**71,834,019.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 12 व 13

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. बिक्री से आय				
क) तैयार माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) कच्चे माल की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) स्क्रैप की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
2. सेवाओं से आय				
क) श्रम और संसाधन प्रभार	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) पेशेवर परामर्श सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) एजेंसी आयोग और ब्रोकरेज	0.00	0.00	0.00	0.00
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	0.00	0.00	0.00	0.00
म) अन्य (निर्दिष्ट)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल				
अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी (स्थिर अनुदान और प्राप्त सब्सिडी)				
1. केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से बजटीय सहयोग)	162,334,000.00	162,334,000.00	131,397,000.00	131,397,000.00
2. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से (सामा.न्याय व अधि. मंत्रा. के जागरूकता सृजन प्रचार के तहत कार्यशालाओं के लिए)	0.00	0.00	3,105,000.00	3,105,000.00
3. सरकारी एजेंसियां	0.00	0.00	0.00	0.00
4. संस्थान / कल्याण निकाय	0.00	0.00	0.00	0.00
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	0.00	0.00	0.00	0.00
6. प्रायोजकों (एन.एच.पी.सी.लिमिटेड द्वारा)	0.00	0.00	196,000.00	196,000.00
7. अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**162,334,000.00**	**162,334,000.00**	**134,698,000.00**	**134,698,000.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 14 व 15

अनुसूची–14 फीस/सदस्यता से आय	**वर्तमान वर्ष**		**पिछला वर्ष**	
1. प्रवेश शुल्क	0.00		0.00	0.00
2. वार्षिक शुल्क/सदस्यता	0.00		0.00	0.00
3. सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क	0.00		0.00	0.00
4. निरामय–स्वास्थ्य बीमा :				
नामांकन/नवीकरण शुल्क :	18,517,077.00		11,527,729.00	
हंस फाउंडेशन द्वारा योगदान :	3,767,148.00		5,479,848.00	
अन्य वसूली :	0.00	22,284,225.00	0.00	17,007,577.00
5. पंजीयन शुल्क	232,000.00	232,000.00	741,997.00	741,997.00
कुल	22,516,225.00	22,516,225.00	17,749,574.00	17,749,574.00
अनुसूची–15: निवेश से आय:				
निवेश पर आय				
1. ब्याज				
क) आरबीआई बांड पर	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	0.00		0.00	
ख) म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	0.00		0.00	
कुल	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00	84,800,000.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 16 व 17

अनुसूची 16–रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1) रॉयल्टी से आय	0.00		0.00	
2) प्रकाशन से आयः प्रकाशन की बिक्री /	0.00		0.00	
3) अन्य (निर्दिष्ट): विविध कार्टिज (Cartridge) आदि की बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**0.00**		**0.00**	
अनुसूची 17– अर्जित ब्याज				
1) मीयादी जमा पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
2) बचत खातों पर				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	2,066,597.00		964,857.00	
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	0.00		0.00	
ग) संस्थाओं के साथ	0.00		0.00	
घ) अन्य	0.00	2,066,597.00	0.00	964,857.00
3) ऋणों पर				
क) कर्मचारियों को	0.00		0.00	
ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	
4) देनदारी एवं अन्य प्राप्त राशियों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	
कुल	2,066,597.00	2,066,597.00	964,857.00	964,857.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 18 व 19

अनुसूची 18– अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. परिसंपत्तियों के विक्रय/निपटान पर लाभ				
क) स्वामित्व परिसंपत्ति	0.00		0.00	0.00
ख) अनुदान से अर्जित परिसंपत्ति, या निःशुल्क प्राप्त	0.00		0.00	0.00
2. आरबीआई बांड में जमापर प्राप्त प्रोत्साहन राशि	0.00		0.00	0.00
3. दान	3,004,660.00		2,907,303.00	2,907,303.00
4. विविध प्राप्तियाँ/आय	100,400.00		18,958.00	18,958.00
5. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत शुल्क	300.00	3,105,360.00	280.00	280.00
कुल		**3,105,360.00**		**2,926,541.00**
अनुसूची 19 – जारी कार्य एवं तैयार माल के भंडार में बढ़ोत्तरी/कमी				
क) शेष माल				
–तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
–कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) घटाएँ : आरंभिक भंडार	0.00	0.00	0.00	0.00
– तैयार माल	0.00	0.00	0.00	0.00
– कार्य–प्रगति में	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध बढ़ोत्तरी/कमी (क – ख)	0.00	0.00	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 20

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	राशि (रु.)	
क) वेतन और मेहनताना (वेतन– रु. 1,56,99,496/– +संविदा कर्मचारियों का वेतनः रु. 21,43,588/–)	17,843,084.00	18,467,398.00
ख) भत्ते और बोनस (बोनस – रु. 62,172/–)	62,172.00	164,172.00
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय (एल.टी.सी.)	216,793.00	25,024.00
घ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ पर व्यय– DCRG / अवकाश नकदीकरण रु. 12,61,156/– (+) नई पेंशन योजना रु. 10,84,941/–	2,346,097.00	8,339,220.00
ङ) अन्य : स्थापना संबंधी व्यय (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रु. 4,26,963/– + शिक्षण शुल्क रु. 3,01,183/– + अखबार व्यय प्रतिपूर्ति – रु. 4,572/–	732,718.00	495,795.00
(Total) कुल	21,200,864.00	27,491,609.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 21

	राशि (रू.)	
अनुसूची 21–प्रशासनिक व्यय आदि	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
क) बिजली	607,970.00	571,120.00
ख) जल प्रभार	10,207.00	20,180.00
ग) टेलीफ़ोन शुल्क	588,253.00	458,678.00
घ) मरम्मत एवं रखरखाव	99,205.00	216,385.00
ङ) किराया, दर एवं कर	9,360,000.00	9,360,000.00
च) चालू वाहन और रखरखाव	364,649.00	1,179,268.00
छ) डाक प्रभार	109,011.00	628,399.00
ज) मुद्रण एवं स्टेशनरी	203,055.00	320,892.00
झ) यात्रा और स्थानीय यात्रा (रु. 347620 + रु. 35245)	382,865.00	983,654.00
ञ) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	236,355.00	121,860.00
त) आतिथ्य व्यय/व्यय–विषयक	72,169.00	23,697.00
थ) पेशेबर शुल्क	564,700.00	111,000.00
द) फोटोकॉपी शुल्क	1,382.00	9,196.00
ध) अन्य विविध खर्च बैंक शुल्क सहित (रु. 7,87,480/– + रु. 18,094/–)	805,574.00	1,211,927.00
कुल	**13,405,395.00**	**15,216,256.00**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची – 22 व 23

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि परव्यय	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
कार्यक्रम एवं परियोजनाएं	**राशि (रू.)**	
(i) दिशा	75,014,000.00	33,449,181.00
(ii) विकास		47,459,700.00
(iii) समर्थ	36,551,500.00	30,501,935.00
(iv) घरौंदा–आजीवनआवास योजना		40,371,999.00
(v) सहयोगी – –केयरएसोसिएट प्रशिक्षण योजना	1,463,000.00	11,835,750.00
(vi) निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना	80,398,565.00	72,992,217.00
(vii) ज्ञान प्रभा	289,823.00	409,456.00
(viii) संभव	0.00	0.00
(ix) प्रेरणा–विपणन सहायता	0.00	0.00
(x) बढ़ते–कदम	366,850.00	1,127,041.00
कुल (क)	**194,083,738.00**	**238,147,279.00**
जागरूकता और प्रचार		
(i) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	21,735.00	1,560,730.00
(ii) कार्यशालाओं / सेमिनार	1,620,875.00	7,673,458.00
कुल (ख)	**1,642,610.00**	**9,234,188.00**
संस्थान व्यवस्था, बैठकें और अन्य		
(i) राज्य नोडल एजेंसी केंद्र (SNAC) / राज्य नोडल एजेंसी पार्टनर (SNAP)	2,913,874.00	6,736,531.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिकमंदता तथा बहु–विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
16–बी, बड़ा बाजार मार्ग, पुराना राजिन्दर नगर, नई दिल्ली – 110060

(ii) स्थानीय स्तरीय समिति	431,450.00	212,650.00
(iii) वार्षिक आम बैठक	161,258.00	226,398.00
(iv) बोर्ड बैठकें	556,011.00	594,050.00
(v) अन्य विविध बैठकें	297,889.00	237,512.00
कुल (ग)	**4,360,482.00**	**8,007,141.00**
घ) अनुसंधान अध्ययन एवं सर्वेक्षण		
अनुसंधान एवं सर्वेक्षण	0.00	1,197,000.00
कुल (घ)	**0.00**	**1,197,000.00**
वृहत कुल (क) से (घ)	**200,086,830.00**	**256,585,608.00**
अनुसूची 23–ब्याज आदि		
i) स्थिर ऋणों पर	0.00	0.00
ii) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)	0.00	0.00
iii) अन्य (निर्दिष्ट): बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने हेतु शुल्क	0.00	0.00

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता
प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार)

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तुलन पत्र के रूप में अनुसूची–24

अनुसूची 24 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉ

1. लेखांकन परम्पराः

वित्तीय विवरण वर्णनात्मक परम्परा के आधार पर तैयार किए जाते हैं बशर्ते कि वे लेखांकन की प्रोद्भूत विधि से तैयार न किए गए हों।

2. वस्तुसूची मूल्यांकनः

2.1 स्टोर्स और स्पेयर्स (मशीनरी स्पेयर्स सहित) का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

2.2 कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित समान तथा निर्मित सामान की गणना कम लागत तथा कुल प्राप्ति मूल्य के आधार पर की जाती है। लागत का आधार भारित औसत मूल्य है। निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित सामान की लागत माल, श्रम और संबंद्ध ऊपरी खर्चों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

3. निवेशः

3.1 ''दीर्घावधि निवेश'' के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत पर किए जाते हैं। अस्थायी के अलावा, कमी का प्रावधान यदि कोई हो तो, इस प्रकार के निवेशों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

3.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेश कम लागत तथा स्पष्ट मूल्य पर किए जाते हैं इस प्रकार के निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान निवेश के लिए अलग–अलग विचार करके किया जाता है न कि वैश्विक आधार पर।

3.3 लागत में दलाली (ब्रोक्रेज), अंतरण स्टाम्प जैसे उपार्जन व्यय शामिल है।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात के अलावा स्वयं के लिए तैयार किए गए सामान के उत्पाद शुल्क की देयता वर्ष के अंत में उत्पादन के पूरा होने तथा उत्पाद कर योग्य निर्मित सामान यदि कोई हो – के प्रावधान पर तय की जाती है।

5. अचल परिसम्पत्तियां :

5.1 अचल परिसम्पत्तियां की अधिग्रहण खर्च की गणना से संबंद्ध आंतरिक, भाड़ा, शुल्क तथा करों और आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्ययों सहित लागत आधार पर की जाती है। निर्माण आधारित परियोजनाओं के मामले में संबंद्ध परिचालन पूर्व व्यय (वित्तीय परियोजना के पूरा होने से पूर्व इसके ब्याज सहित) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य का हिस्सा माने जाते हैं।

5.2 गैर–मौद्रिक अनुदान (संचय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल संपत्तियों को पूॅजी निधि/आरक्षित निधि को अनुवर्ती ऋण के आधार पर बताए गए मूल्यों पर पूंजीकृत किया जाता है।

6. मूल्य ह्रास :

सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना आयकर अधिनियम के अनुसार दर्शायी गयी दरों के आधार पर वित्तीय वर्ष के समापन पर परिसम्पत्तियों के परिमाण पर की गई है। वर्ष के दौरान रूपये 4,65,842/– (अनुसूची–8) की राशि की आय–व्यय के लेखे में बट्टा खाते में डाला गया है।

7. विविध प्रकार के खर्च

स्थगित राजस्व व्यय, यदि कोई हो, तो वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिये लिखा गया है।

8. निरामय–स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु लेखा–जोखा

''निरामय'' पर किए गए व्यय का लेखा तथा शुल्क आदि के मद में वसूली गई राजस्व को एकल खाता लेखा ''स्वास्थ्य बीमा योजना'' के अन्तर्गत 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएं'' शीर्षक से में दर्ज किया गया है। तथापि, परियोजना पर किए गए कुल व्यय को 'कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ' के अन्तर्गत अनुसूची–22 में दिखाया गया है, तथा वर्ष के दौरान राजस्व वसूली की आय के रूप में ''फीस/सदस्यता से आय'' के अन्तर्गत अनुसूची–14 में दिखाया गया है।

9. सरकारी अनुदान/सहायता :

9.1 सरकारी अनुदान के रूप में किसी योजना लगाने के लिये लागत पूंजी के योगदान को सुरक्षित पूंजी की तरह लिया जाता है तथा अधिग्रहित विशेष अचल सम्पत्ति के संदर्भ में अनुदान को संबंधित परिसम्पत्तियों की लागत के रूप में दिखाया गया है।

9.2 अन्य सरकारी अनुदान को आय के रूप में ''अनुदान/सब्सिडी/प्रायोजक'' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची–13 में दिखाया गया है।

10. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

10.1 विदेशी मुद्रा में अंकित लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

10.2 वर्तमान संपत्ति, विदेशी मुद्रा ऋण और वर्तमान देनदारियों को वर्ष के अंत तक प्रचलित विनिमय दर में परिवर्तित की जाती हैं और परिणामी लाभ/हानि अचल परिसंपत्तियों की लागत के लिए समायोजित की जाती है, यदि विदेशी मुद्रा देयता अचल संपत्ति से संबंधित है, और अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

11. लीज

लीज किराया का व्यय, लीज के नियमानुसार किया गया है।

12. सेवा निवृत्ति लाभ

12.1 कर्मचारियों के सेवा निवृति की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के लिए अतिरिक्त देनदारी का प्रावधान 31.03.2019 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में किया गया है।

12.2 नए अंशदायी पेंशन योजना के आरंभ होने के परिणाम स्वरूप, पेंशनरों के लाभ के लिये ये प्रावधान किया जा रहा है एवं नियमित रूप से P.F.R.D.A. के पास जमा किया जाता है।

लेखा अधिकारी **प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी**

राष्ट्रीय न्यास

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता
प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
(सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलना पत्र के रूप में अनुसूची–25

अनुसूची–25: आकस्मिक देयताएं तथा लेखा टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं :

1.1 संगठन के विरूद्ध दावे जो कि ऋण के रूप में प्रतिपादित नहीं किये गये – रु0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)

1.2 निम्न के संबंध में :

- संगठन की ओर से / की तरफ से दी गई बैंक गारंटी'–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए क्रेडिट पत्र – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रु0 शून्य)
- बैंकों से छूट प्राप्त बिल–रु0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांग :

- आयकर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- बिक्री कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)
- निगम कर – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

1.4 आदेशों के निष्पादन न करने हेतु संगठन द्वारा किये गये दावे – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते से पूरा किए जाने वाला अनुमानित मूल्य जिनके लिए कुल अग्रिमों की व्यवस्था नहीं की गई – रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

3. पट्टा (लीज) संबंधी वचनबद्धताएं

प्लांट एवं मशीनरी के लिए पट्टा वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत किराए की भावी वचनबद्धताएं रू0 शून्य (पिछले वर्ष रू0 शून्य)

4. चालू परिसम्पत्ति, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों का मूल्य सामान्य व्यावासायिक रूप से उगाही पर निर्भर करते हुए तुलन पत्र में दर्शायी गई कुल राशि के बराबर है।

5. कराधान :

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई आय कर योग्य नहीं थी, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
6.1 आयात की गणना सी.आई.एफ. पर आधारित है		
▪ निर्मित सामान की खरीद	–	–
▪ कच्चा माल तथा संघटक (मार्गस्थ सहित	–	–
▪ पूंजीगत सामान	–	–
▪ स्टोर्स, स्पयेर्स तथा उपभोज्य	शून्य	शून्य
6.2 विदेशी मुद्रा पर व्यय	शून्य	शून्य
क) यात्रा	–	–
ख) वित्तीय संस्थानों/बैंको को विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया रुपया/ब्याज शून्य शून्य	–	–
ग) अन्य व्यय :	–	–
▪ बिक्री पर कमीशन	–	–
▪ कानूनी तथा व्यावसायिक व्यय	–	–
▪ विविध व्यय	–	–
6.3 अर्जन		
▪ एफ. आई. बी. आधार पर निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

7. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः

लेखा परीक्षकों के लिए	**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
▪ कराधान मामले	0.00	0.00
▪ प्रबंधन मामले	0.00	0.00
▪ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C.A.G.) द्वारा प्रमाणन	2,36,355.00	1,21,860.00
▪ अन्य	0.00	0.00

8. अनुवर्ती आंकड़ों को पिछले वर्ष के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, इन्हें पुर्नसमूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

9. संलग्न 1 से 25 तालिकाएं 31 मार्च 2019 तक के तुलन पत्र तथा इस तारीख को समाप्त आय–व्यय खाते का समग्र भाग है।

लेखा अधिकारी **प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी**